रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236960
CG-DL-E-01072022-236960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
No. 168] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

मामला सं. एडीडी (ओ.आई) 15/2021

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/15/2021-डीजीटीआर.—1. मैसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड (जिसे आगे "घरेलू उद्योग या "याचिकाकर्त्ता" कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी गया गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड" "जिसे

यूडीसीए भी कहा गया है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 6/15/2021-डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाये तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियामवली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी प्रदान की थी।

ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. फारमासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ii. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. एसडीएआरटी इंटरनेशनल इंक, चीन जन.गण.

v. मेइशान जिंगोंग बियो कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

vi डेवूंग बायो इंक, कोरिया गणराज्य

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ii. सिचुआन जिएली, चीन जन.गण.

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. फार्मासिनो कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

v. हांगझोऊ डावन रे फार्मासियुटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

vi. सुझोऊ टियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

vii. डेवूंग बायो इंकारपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. डीपीबी आंटिबायोटिक्स लिमिटेड

ii. मेडरिच लिमिटेड

iii. सन फार्मा लेबोरेट्रीज लिमिटेड

iv. विन-मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड

v. इंड-स्विफ्ट लिमिटेड

vi नोवेल फार्मा साल्युशंस एलएलपी

vii. काडिला हैल्थकेयर लिमिटेड

viii. स्ट्राइड्स फार्मा साईंस लिमिटेड

ix. ईस्टर्न केमिकल्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड

x. पार फार्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड

xi. वाटसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

xii. ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

xiii. एमनियल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

xiv. एबॉट इंडिया लिमिटेड

झ. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ञ. इसके अतिरिक्त, चाइना चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिशियंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट ने प्रारंभिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ट. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। पहली बार समय सीमा 9 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई और उसके बाद 23 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई।

ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के ज़रिए एक ई-फाइल के रूप में उपलब्ध रखे थे।

ड. चूंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईऐंडएस) द्वारा आयात आंकड़ों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ढ. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ण. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इन प्रारंभिक जांच परिणामों के जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

त. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी।

थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि पर 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच अवधि की अवधियों के रूप में विचार किया गया है।

द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

ध. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

न. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यात्मक दस्तावेज़ों की आगे जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेगा।

प. इस जांच परिणाम अधिसूचना में '***' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर =74.53 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच मे विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड को उरसोडियोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है।

यूडीसीए का प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। यूडीसीए का प्रयोग प्राथिमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार दर्शा सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक स्कलेरोजिंग कोलेंगिटिज, गर्भावस्था के इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, बाइल रिफ्लैक्स गैस्ट्रिटिस आदि के उपचार में भी होता है।

इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड जिसे उरसोडीयोल भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला बाइल एसिड है। उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड का आणविक सूत्र सी24एच40ओ4 है।

ii. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों जैसे टैरिफ वर्गीकरण के 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि इस उत्पाद का अधिकांशत: आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया जाता है।

iii. यूडीसीए को कोलिक एसिड (सीए) या केनोडियोक्सीकोलिक एसिड (सीडीसीए) के रूपांतरण द्वारा उत्पादित किया जाता है जिसे बोवाइन ओरिजन बाइल (ऑक्स बाइल) या पोरसाइन ओरिजन बाइल (पिग बाइल) या ऐवियन बाइल (बर्ड बाइल) के प्रसंस्करण से प्राप्त किया जाता है।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद कथित पाटित वस्तुओं से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की नीचे जांच और समाधान किया गया है।

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड को उरसोडायोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है। यूडीसीए का उत्पादन कच्ची सामग्री के रूप में कोलिक एसिड के प्रयोग से किया जाता है, जिसे केनोडियोक्सीकोलिक एसिड में परिवर्तित करने के लिए आक्सीकृत किया जाता है। इस प्रकार निर्मित केनोडियोक्सीकोलिक एसिड को तत्पश्चात लिथोकोलिक एसिड में बदलने के लिए एंजाइनमेटिक आक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। बायोकेथेलेटिक कटौती द्वारा यह उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड क्रूड बन जाता है और इसे बाद में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के रूप में उपचारित किया जाता है।

9. यूडीसीए का प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। यूडीसीए का प्रयोग प्राथमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार दर्शा सकता है। यह एक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दवाई नहीं है। यूडीसीए उक्त उपचार के लिए अपेक्षित औषधियों हेतु कच्ची सामग्री या मध्यवर्ती वस्तु नहीं है बल्कि उपचार के लिए औषधियों का एक घटक है।

10. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. किसी पक्षकार ने यह दलील नहीं दी है कि विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु में कोई अंतर है। रिकॉर्ड में सूचना से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड भारत में यूडीसीए एपीआई का एकमात्र मौजूदा उत्पादक है।

ii. शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड आईसीई एस.पी.ए., इटली के साथ संयुक्त उद्यम करार में शामिल हुआ था और रायकेम मेडिकेयर (प्रा.) लिमिटेड नामक एक नई कंपनी बनाई थी।

iii. रायकेम मेडिकेयर प्रा. लिमिटेड 3ए-7बी – डिहाइड्रोक्सी -5 बी-कोलन-24-ओआईसी एसिड का विनिर्माण करता है जो यूडीसीए एपीआई की उन्नत मध्यवर्ती वस्तु है।

iv. आईओएल केमिकल्स लिमिटेड की योजना कंपेन आधार पर यूडीसीए के उत्पादन की थी, परंतु उनकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है।

v. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

vi घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में आयातकों से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने स्थिति का पता लगाने में शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड और आईओएल केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन को लेखांकित नहीं किया है।

ii. शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह कंपनी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के उत्पादन में भी शामिल है।

iii. रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड भी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए) के उत्पादन में शामिल है।

iv. स्थिति के निर्धारण और मांग के आकलन के लिए इन तीन उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री को बाहर रखने का कोई आधार नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य कंपनियां भी यूडीसीए का उत्पादन कर रही हैं, प्राधिकारी ने रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड और आईओएल केमिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पादन की स्थिति का पता लगाने के लिए पत्र भेजा था। तथापि, रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड आईसीई एस.पी.ए., इटली के साथ एक संयुक्त उद्यम में शामिल हुआ है और रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी बनाई है। रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित और बेचा गया उत्पाद यूडीसीए एपीआई की उन्नत मध्यवर्ती वस्तु है, जो विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु नहीं है। आईओएल केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने उत्पादन और बिक्री के आकड़े दिए हैं, जिन पर कुल भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग ज्ञात करने के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

16. यह आवेदन आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता का उत्पादन प्रमुख उत्पादन अर्थात् भारत में कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक बनता है। तद्नुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के मुकाबले द्वितीयक आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है और उनके गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयात आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया है। प्राधिकारी से प्रतिवादियों के अगोपनीय आयात आंकड़े शेयर करने का अनुरोध किया जाता है।

ख. याचिका का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर, 2013 में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, प्रपत्र-VI (लागत निर्धारण सूचना) के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया गया हे।

ग. वर्तमान जांच की शुरुआत पूर्णत: निराधार है और जांचकर्ता प्राधिकारी को वर्तमान जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

घ. जांच शुरुआत अधिसूचना यह नहीं दर्शाती है कि क्षति के प्रथमदृष्टया मूल्यांकन के लिए समायोजित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजित आंकड़े क्षति की "वस्तुनिष्ठ जांच" नहीं करते हैं।

च. विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की इकाईयां भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर होती हैं और एसईजेड में आयातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी ने पूर्व की विभिन्न जांचों जैसे गैर-वोवन फैब्रिक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच और इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर की रक्षोपाय जांच में एसईजेड से संबंधित आयात आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया था।

ज. प्राधिकारी ने पूर्व में यह भी नोट किया है कि एसईजेड इकाईयां अन्य घरेलू इकाईयों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और एसईजेड के भीतर ऐसे आयातों से कोई क्षति नहीं होती है।

झ. घरेलू उद्योग एनआईपी या क्षति मार्जिन रेंज की अपनी गणना का प्रकटन नहीं कर पाया है।

ञ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संदर्भ कीमत पर आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाएं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

i. पोर्सिन बाइल के उपभोग से एच1एन1 वायरस सूअरों से मनुष्यों में आ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्सिन स्रोतों से निकाले गए और तैयार उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के आयातों को निषिद्ध औषधि घोषित किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद शुरु की गई थी कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा, जांच शुरुआत के बाद घरेलू उद्योग से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और घरेलू उद्योग ने सूचना प्रदान की है।

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

22. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए जांच की है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित है:

I. चीन का एक्सेसन प्रोटोकोल केवल 15 वर्षों के लिए वैध था, 11 दिसंबर, 2016 के बाद किसी भी प्रकार से चीन जन.गण. किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य विशेष के घरेलू कानून के अंतर्गत वर्गीकृत है, सामान्य मूल्य चीन की कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा यथा-प्रस्तावित सामान्य मूल्य यूरोपीय संघ (इटली) से आयात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इटली तथा चीन जन.गण. के विकास का स्तर तुलनीय नहीं है।

iii. यूरोप से भारत को निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए कोई समर्पित कोड उपलब्ध नहीं है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जन.गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. 11 दिसंबर, 2016 को केवल चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधानों की अवधि समाप्त हुई किंतु अनुच्छेद 15(क)(i) लागू रहा जिसमें उत्पादकों को यह दर्शाना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं। प्राधिकारी ने यदि उत्पादक/निर्यातक यह न दर्शाएं कि वे बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं, तो हाल की सभी जांचों में चीन जन.गण. पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किया है।

iii. चीन के उत्पादकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत के तत्व जांच के अधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों में उचित और पूर्ण रूप से प्रदर्शित होते हैं।

iv. देश के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूचियां या वाणिज्यिक बीजक वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसलिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

v. विचाराधीन उत्पाद का समर्पित एचएस कोड नहीं है और इसे विभिन्न एचएस कोडों के अधीन आयातित और निर्यातित किया जाता है।

vi सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री तथा घरेलू उद्योग की अन्य परिवर्तन लागतों और तर्कसंगत लाभ के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

ख. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संगंध में निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:-

i. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी, चीन जन.गण. ("बेलिंग")

ii. सिचुआन जिली, चीन जन.गण.("जिली")

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. फार्मासिनो कं., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("फार्मासिनो")

v. हांगझोऊ डावन रे फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण. ("डावन रे")

vi सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कं., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("तियानलु")

vii. डाइवूंग बायो इन्कोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य ("डाइवूंग")

च.3.1 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

27. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

28. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

29. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रुप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।"

30. एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां यह संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करते हुए यदि आवश्यक हो तो विधिवत् रूप से समायोजित करके किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को पैरा 7 के अधीन प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

31. याचिकाकर्ता ने भारत को यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी, ने जांच शुरुआत के स्तर पर चीन जन.गण. के लिए परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया था।

32. प्राधिकारी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के मौजूदा न्याय-शास्त्र और शेनयांग मस्तसुशिता एस.बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिविल अपील सं. 61711/2003 दिनांक 23/12/2005) में माननीय उच्चतम न्यायालय, मैसर्स सेंचरी प्लाईवुड (आई) लिमिटेड तथा अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यू.पी. सं. 6568/2017 दिनांक 4/01/2018) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील संख्याएं सी1768,600,601,773,769/2005-एडी दिनांक 09/09/2005) मामले में सेस्टेट, मुख्य पीठ, नई दिल्ली, कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील सं. 2019 का 52291 दिनांक 5 अगस्त 2020) के निर्णय को नोट करते हैं। ये निर्णय उचित विकल्प और उससे जुड़े दायित्वों के चयन के संबंध में एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के संबंध में विनिर्देश प्रदान करते हैं।

33. पहली अपेक्षा के रूप में प्राधिकारी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना अपेक्षित है। तथापि, न तो याचिकाकर्ता और न ही हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधी कोई सूचना प्रदान की है। इसके अलावा, इस संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दूसरा विकल्प ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क एचएस कोड नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के पास भारत में आयातों के संबंध में सूचना उपलब्ध है। प्राधिकारी ने सौदावार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि भारत में यूरोपीय संघ से काफी आयात हुए हैं। यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के लगभग 47 प्रतिशत आयात हुए हैं और कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है। यूरोपीय संघ से आयात वर्तमान जांच में पाटित आयात नहीं माने गए हैं। प्राधिकारी, इस संबंध में कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय को भी नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जहां सामान्य मूल्य भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले

उचित तीसरे देश के निर्धारण के लिए संगत मापदंड ऐसे देश से निर्यातों की मात्रा है और यह कि वह देश जांच अवधि के दौरान पाटन न कर रहा हो।

34. अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि भारत को यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है। प्राधिकारी ने भारत को यूरोपीय संघ से सीआईएफ कीमत पर विचार किया है और कारखानाद्वार स्तर ज्ञात करने के लिए उसे समायोजित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

क. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

35. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे ***अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पत्तन और अन्य व्यय तथा ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है और विस्तृत सत्यापन और जांच के अधीन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी है। तद्नुसार, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

36. सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपनी लिमिटेड के ज़रिए निर्यात किया है। निर्यातकों ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे ***अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातकों ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है और विस्तृत सत्यापन और जांच के अधीन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी है। तद्नुसार, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

37. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने हेंगझोऊ डॉन रे फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ("डॉन रे") और फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) ("फार्मासिनो") के ज़रिए निर्यात किया है। मै. तियानलु ने दोनों निर्यातकों अर्थात मै. डॉन रे और मैसर्स फार्मासिनो के जरिए भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे ***अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातकों ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है और विस्तृत सत्यापन और जांच के अधीन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी है। तद्नुसार, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

घ. अन्य उत्पादक

38. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भागीदारी की है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.2 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

सामान्य मूल्य

क. डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

39. डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड, जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इस उत्पादक ने कोरिया गणराज्य में अंतिम उपभोक्ताओं को *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तु को सीधे बेचा है। डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड की घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं।

40. उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में उनकी बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हो तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से अधिक थीं। डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड ने अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है, जिनकी विस्तृत सत्यापन और जांच के अधीन अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है।

41. तद्नुसार, डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. अन्य उत्पादक

42. कोरिया गणराज्य के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

क. डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

43. उत्पादक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना दी है और समुद्री भाड़ा, कमीशन, पैकेजिंग लागत, शुल्क वापसी, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है और विस्तृत सत्यापन और जांच के अधीन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी है।

44. तद्नुसार, डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के बाद अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. अन्य उत्पादक

45. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.5 पाटन मार्जिन

46. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य अ.डा./कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अ.डा./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन		
				अ.डा./कि.ग्रा.	%	रेंज
1	**चीन जन.गण.**					
क	झोंगशान बेलिंग बॉयोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140
ख	सिचुआन जेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	110-120
ग	सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140
घ	अन्य	***	***	***	***	210-220
2	**कोरिया गणराज्य**					
क	डेवूंग बायो इनकोरपोरेटेड	***	***	***	***	50-60
ख	अन्य	***	***	***	***	70-80

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने काफी अधिक उधार ले लिए थे और बीआईएफआर के आदेश द्वारा उसे एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया था। सीडीआर, बीआईएफआर और बंद करने संबंधी याचिका, जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण 2013-2016 के बीच व्यापार पर पूरी तरह रोक लग गई थी।

ii. कंपनी मै. जेएम फाइनेंशियल ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ एक पुनर्गठन करार में शामिल हुई थी, जिसे 31.03.2024 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।

iii. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में परिवर्तन के आंकड़े इस आधार पर नहीं दिए गए हैं कि किसी क्षति का दावा नहीं हुआ है। आवेदन अधूरा है।

iv. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में केवल दो महीने उत्पाद किया है और केवल एक महीने बिक्री की है।

v. चार वर्ष और तीन महीने (कुल 51 महीने) की कुल क्षति अवधि में से घरेलू उद्योग ने केवल 26 महीने वस्तुओं का उत्पादन किया है।

vi जांच अवधि के 15 महीनों में घरेलू उद्योग ने 7 महीने उत्पादन नहीं किया था। घरेलू उद्योग ने उत्पादन रोकने का कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है।

vii. घरेलू उद्योग ने इष्टम आंकड़े प्रदान किए हैं परंतु क्षति को मौजूदा रूप में और न कि इष्टम आधार पर जांचा जाना चाहिए। मेलामाइन के हाल के जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू उद्योग को उसके मौजूदा स्वरूप में देखना अपेक्षित है।

viii. घरेलू उद्योग ने मांग और आयातों के संबंध में अद्यतन सूचना प्रदान नहीं की है।

ix. घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है और इस प्रकार, मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। चीन जन.गण. से आयात मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए आवश्यक हैं।

x. घरेलू उद्योग ने न्यूनतम कीमत पर वस्तु बेचने के बावजूद मालसूची में वृद्धि का दावा किया है। इससे पता चलता है कि उपभोक्ता न्यूनतम कीमत पर देने के बावजूद घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं। बिक्री मात्रा में गिरावट और बढ़ी हुई मालसूची का प्राथमिक कारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के अलावा कुछ नहीं है।

xi. कोरिया गणराज्य से आयातों के संबंध में, कीमत कटौती ऋणात्मक है।

xii. इस उत्पाद को चिकित्सा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और इसकी शेल्फ लाइफ सीमित है। उत्पाद की भावी मालसूची से बिक्री क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

xiii. चीन जन.गण. से निर्यात भारत में मांग के अनुक्रम में रहे हैं। 2019-20 की तुलना में जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात मात्रा में गिरावट आई है।

xiv. चीन जन.गण. से आयात मात्रा में वृद्धि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और उत्पाद की बिक्री में वृद्धि की तुलना में नगण्य हैं।

xv. बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कम है, जो दर्शाता है कि आयातों से कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

xvi. ऋणात्मक कीमत कटौती का अर्थ है कि घरेलू उद्योग न्यूनतम आयात कीमत से कम पर वस्तु बेच रहा है और इससे विदेशी निर्यातकों को कीमत क्षति हो रही है।

xvii. आधार वर्ष तथा क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

xviii. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में ही उत्पादन शुरु किया है और वह एक नया उद्योग है। घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, तो स्टार्ट-अप कठिनाईयों के कारण हुई है, जो आरंभिक तैयारी अवधि के दौरान आम बात है।

xix. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

xx. कोरिया गणराज्य से निर्यात मात्रा में पीओआई के दौरान तेजी से गिरावट आई है, जबकि चीन जन.गण. से उसमें भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, कोरिया गणराज्य से भारत को ऐसी कीमत पर निर्यात हुआ है, जो चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की कीमत से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है।

xxi. कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण है।

xxii. घरेलू उद्योग द्वारा कथित रूप से उठाई गई क्षति संबंधित देश से आयातों से इतर कारणों से हुई है।

xxiii. संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना वांछनीय नहीं है क्योंकि उत्पाद एक अनिवार्य भेषज उत्पाद और जीवन रक्षक औषधि है।

xxiv. घरेलू उद्योग एकाधिकारी स्थिति में है और आयातों को छोड़कर उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

xxv. यूरोपीय संघ से आयात कीमत अधिक होने के बावजूद बढ़ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि ऐसे कुछ अन्य कारक हैं जो उपभोक्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

xxvi. खराब ऑफटेक और उच्चतर मालसूची मात्रा के कारण उत्पादन बंद हो गया था।

xxvii. घरेलू उद्योग का घाटों का इतिहास रहा है क्योंकि उसे तब भी घाटा हुआ, जब कोई पाटित आयात नहीं थे। वर्तमान घाटों के लिए आयात जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

48. क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. संबद्ध देशों से आयातों में 2017-18 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरु करने और यूरोपीय संघ से आयातों में वृद्धि के कारण वर्ष 2018-19 में गिरावट आई।

ii. तत्पश्चात, वर्ष 2019-20 में आयातों में वृद्धि हुई और जांच अवधि में और अधिक वृद्धि हुई।

iii. संबद्ध देशों से आयात में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

iv. आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट के साथ जांच अवधि में आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है।

v. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उस हिस्से से काफी कम है, जिसे वह पूरा करने में सक्षम है।

vi बिक्री मात्रा, आउटपुट/उत्पादन तथा क्षमता उपयोग, इन सभी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह वृद्धि स्वाभाविक थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में ही उत्पादन शुरु किया था।

vii. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान वार्षिक रूप से अपनी क्षमता के ***प्रतिशत का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं है।

viii. उत्पादन और बिक्री में मामूली वृद्धि भी इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग बाजार में न्यूनतम कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री कर रहा है।

ix. उत्पादन की इष्टम लागत पर भी घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ कमाया है, जो 2019-20 में बढ़ गया है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग को जांच अवधि में अपनी कीमतें घटाने और घाटा उठाने पर बाध्य होना पड़ा है।

x. नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई परंतु वर्ष 2019-20 में यह ऋणात्मक हो गए और जांच अवधि में इनमें और गिरावट आई है।

xi. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित अंशदान 2018-19 तक सकारात्मक था, परंतु वर्ष 2019-20 और जांच अवधि में भी यह ऋणात्मक हो गया।

xii. औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। जांच की प्रस्तावित अवधि में अंतिम मालसूची वार्षिक घरेलू बिक्रियों का लगभग 40 प्रतिशत थी।

xiii. घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जबकि कीमत मापदंडों में इसकी वृद्धि ऋणात्मक रही है।

xiv. कीमत कटौती चीन जन.गण. के लिए सकारात्मक और कोरिया गणराज्य के लिए नकारात्मक रही है। कुछ महीनों में चीन जन.गण. के लिए कीमत कटौती 26 प्रतिशत से अधिक रही है।

xv. संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती मामूली रूप से ऋणात्मक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग को बाजार में बिक्री के लिए आयातित उत्पाद की कीमत की बराबरी करने को बाध्य होना पड़ा।

xvi. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर काफी आयात हुए हैं।

xvii. कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

xviii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xix. संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर, यूरोपीय संघ से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं परंतु उन आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से काफी अधिक है।

xx. मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और मांग में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

xxi. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की कमी, बिजली की कमी, किसी कर अंतर के प्रभाव, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश संबंधी बाधाओं आदि से संबंधित समस्याओं के कारण संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री के संबंध में किसी बाधा का सामना नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए निम्नलिखित क्षति विश्लेषण से हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों का वस्तुत: समाधान होता है।

संचयी आकलन

50. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध II में यह व्यवस्था है कि यदि एक देश से अधिक से किसी उत्पाद का आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो तो प्राधिकारी यदि यह निर्धारित होता हो तो ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (या अधिक) हो या जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, वहां आयात समग्र रूप से समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक बनते हों; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में उचित हो।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

घ. ऊपर उल्लिखित मापदंडों की जांच से पता चलता है कि आयातित वस्तु और घरेलू समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा हे।

52. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उचित समझते हैं।

53. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ''... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...'' घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर

प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

54. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए लागू कानूनों के आलोक में उनका विश्लेषण किया है। आगामी पैराग्राफों में प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान किया गया हे।

55. यह दलील दी गई है कि घरेलू उद्योग को रुग्ण इकाई घोषित किया गया था और 2013-2016 के बीच व्यापार पूर्णत: बंद था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रदत्त सूचना उस अवधि से संबंधित है जो क्षति अवधि से पहले थी। यह नोट किया जाता है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का 2016 में निरीक्षण हुआ था और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता इस अधिनियम के दायरे से बाहर था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध समापन संबंधी सभी याचिकाएं 2018 तक वापस ले ली गई थी। इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग की पूर्व रुग्णता के कारण प्रभावित हुई हो। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद का पाटन हुआ है और उसकी वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसकी जांच करने के लिए प्राधिकारी ने केवल क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान समान घरेलू उत्पाद के उत्पादन में रुकावट का एक कारण देश में विचाराधीन उत्पाद का पाटन रहा था और ऐसा पूर्व में घरेलू उद्योग की रुग्णता की वजह से नहीं हुआ था।

56. याचिकाकर्ता की मालसूची में आपूर्तितित उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के कारण वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्तितित उत्पाद कैसे घटिया था। हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया या विनिर्देशों में ऐसा कोई संभावित अंतर नहीं बताया है जिससे मालसूची में वृद्धि हो सकती हो। हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति अवधि के दौरान कीमतों में तेजी से गिरावट का भी उल्लेख नहीं किया है। यदि घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता घटिया थी तो विदेशी उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलनी चाहिए थी और उन्हें अपनी कीमत में तेजी से कमी करना जरूरी नहीं था। तथापि, यह देखा गया है कि कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। अत: हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उत्पाद की गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद को नहीं बेच पाया था। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने वाला ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्तितित उत्पाद घटिया गुणवत्ता का है।

57. यह तर्क दिया गया है कि उत्पाद की सीमित सैल्फ लाइफ है जिससे याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत प्रभावित हो रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा बढ़ती हुई मालसूची रखने को बाध्य होने का एकमात्र कारण आयातों की पाटित कीमतें हैं।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट प्रदर्शित हो। कुछ मापदंडों में गिरावट हो सकती है जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

59. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग के भारत में उसकी घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	91	123
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	464	188	48
3	संबद्ध देशों से आयात	कि.ग्रा.	38,982	46,320	69,720	53,940
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	179	138
4	अन्य देशों से आयात	कि.ग्रा.	37,298	44,060	47,866	47,650
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	128	128
5	कुल मांग/ खपत	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	148	130

60. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से, मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

61. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	कि.ग्रा.	38,982	46,320	69,720	53,940
i	चीन जन.गण.	कि.ग्रा.	35,520	37,198	59,860	43,865
ii	कोरिया गणराज्य	कि.ग्रा.	3,462	9,122	9,860	10,075
2	अन्य देश	कि.ग्रा.	37,298	44,060	47,866	47,650
3	कुल	कि.ग्रा.	76,280	90,380	1,17,586	1,01,591
4	निम्न के संबद्ध में संबद्ध देशों के आयात-					
i	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	199	142	154
ii	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	121	106
iii	कुल आयात	%	51.10%	51.25%	59.29%	53.10%

62. यह देखा गया है कि:-

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच अवधि में गिरावट आई है।

ii. यद्यपि जांच अवधि में आयातों में वर्ष 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है, तथापि आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

iii. जांच अवधि में गिरावट के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों का मांग में काफी हिस्सा रखना जारी है।

iv. संबद्ध देशों से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों, भारत में मांग और भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

63. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के माध्यम से जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत की वृद्धि

64. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों और कच्ची सामग्री की लागत की प्रवृत्ति की जांच की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	अवधि	कच्चे माल की लागत– रु.ग्रा.कि/.	प्रवृत्ति	पहुंच कीमत रु.ग्रा.कि/.	प्रवृत्ति
1	2018-19	***	100	24,136	100
2	2019-20	***	90	19,519	81
3	2020-21	***	93	16,581	69
4	जांच की अवधि	***	89	15,518	64

65. यह देखा गया है कि कच्ची सामग्री की लागत में क्षति अवधि के दौरान 11 इंडेक्स बिंदु की कमी आई है। तथापि, पहुंच कीमत में 36 इंडेक्स बिंदुओं की कमी आई है। जांच अवधि में पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है।

66. यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू करने से पहले संबद्ध देशों से लगाए गए मूल्य 330-340 यूएसडी/एमटी के दायरे में थे। हालांकि, आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद, आयात कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है और यह 210-220 यूएसडी/एमटी की सीमा में है।

ख. कीमत कटौती

67. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती प्रभावों को निम्नानुसार ज्ञात किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप से					
i	पहुंच कीमत	रुपये/किग्रा.	24,136	19,519	16,581	15,518
ii	कीमत कटौती	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज%	(0-10)	(20-30)	(0-10)	(0-10)
3	चीन जन.गण.					
i	पहुंच कीमत	रुपये/कि.ग्रा.	24,146	19,554	16,129	14,785
ii	कीमत कटौती	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज %	(0-10)	(20-30)	0-10	(0-10)
4	कोरिया गणराज्य					
i	पहुंच कीमत	रुपये/किग्रा.	24,040	19,375	19,320	18,710
ii	कीमत कटौती	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज %	(0-10)	(10-20)	(10-20)	(20-30)

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के मामले में कीमत कटौती मामूली रूप से ऋणात्मक है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग और चीन की कीमतें तालमेल के साथ चलती हैं। तथापि, कोरिया गणराज्य के मामले में कीमत कटौती काफी ऋणात्मक है। समग्र कीमत कटौती भी ऋणात्मक है। यह भी नोट किया जाता है कि कम कीमत वाले आयातों से घरेलू उद्योग से आयातों की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा में अपनी बिक्री कीमत को कम करने को बाध्य हुआ है। तथापि, ऐसी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग बाजार में घाटों को कम करने के लिए कमतर मात्रा के उत्पादन और बिक्री के लिए बाध्य हुआ है। अत: जब घरेलू उद्योग की कीमत में इतना अधिक ह्रास/न्यूनीकरण हुआ हो कि वह एक सकारात्मक अंशदान प्राप्त करने में असमर्थ हो तो कीमत कटौती संगत कारक नहीं हो सकता है।

ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास हुआ है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	102	127	96

2	बिक्री कीमत	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*65*	*68*	*62*
3	पहुंच कीमत	रुपये/किग्रा.	24,136	19,519	16,581	15,518
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*81*	*69*	*64*
4	कच्ची सामग्री की लागत	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	90	93	89

70. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है। यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत वास्तव में घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2020-21 तक वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी परिवर्तनशील लागत पर भी बिक्री नहीं कर सका है और उसे लाभ नहीं हुआ है बल्कि घाटा हुआ है। आयात कीमत के अत्यधिक कम होने से घरेलू उद्योग की कीमत वृद्धि पर रोक लगी है। अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास से नुकसान भी उठाना पड़ा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

71. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री नीचे तालिका में दी गई है:-

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	क्षमता	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	उत्पादन	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*60*	*126*	*72*
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*60*	*126*	*72*
4	घरेलू बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*91*	*123*

73. यह देखा गया है कि:-

i. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया था। तत्पश्चात, घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ii. उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है, 2020-21 में वृद्धि हुई है परंतु जांच अवधि में पुन: गिरावट आई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग अत्यंत कम रहा है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह जांच अवधि के आठ महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था। इसके अलावा, वह जांच अवधि के अंतिम छह महीनों में से पांच महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था।

v. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है परंतु तत्पश्चात वृद्धि हुई है। समग्र रूप से घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. बाजार हिस्सा

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	62	95
2	अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	381	127	37
3	संबद्ध देशों का हिस्सा	%	44%	43%	54%	47%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	121	106
4	अन्य देशों का हिस्सा	%	42%	41%	37%	42%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	87	98

75. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2010-20 तक गिरावट आई लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है जबकि बाजार हिस्सा एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बहुत अधिक हद तक कम है। यह देखा जाता है कि पाटित आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में सीमांत रूप से वृद्धि हुई है और यह बहुत अधिक बना हुआ है।

76. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में अन्य देशों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक कीमतों पर आयात हुए हैं। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ये आयात फॉर्मूलेशन के निर्यात के लिए हैं न कि घरेलू बाजार में खपत के लिए। यह कहा गया है कि ये आयात एसईजेड क्षेत्रों में या अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत उन उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं जो शुल्क वापसी लाभ लेते हैं। आवेदक ने आगे निवेदन किया कि ये आयात इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनके ग्राहकों ने यूडीसीए के आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित किया है।

ग. लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय और नकद लाभ

77. **क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है :**

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु.किग्रा /.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	127	96
2	बिक्री कीमत	रु.किग्रा /.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	68	62
3	लाभ / हानि	रु.किग्रा /.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(154)	(211)	(145)
4	लाभ / हानि	रुलाख .	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(136)	(193)	(179)
5	नकद लाभ	रुलाख .	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(153)	(237)	(220)
6	ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पी बी आई टी)	रुलाख .	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(157)	(224)	(160)
7	लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(196)	(305)	(371)

78. **यह देखा गया है कि -**

क. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान लगातार हानि होती रही है।

ख. घरेलू उद्योग को हुई प्रति इकाई हानि और कर पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. नकद हानि और ब्याज पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय बहुत अधिक हद तक नकारात्मक है।

घ. माल सूची

79. **क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :**

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80,953	38,617	1,63,106
2	अंतिम माल सूची	किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	306	77

3	औसत मालसूची	किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	354	278

80. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा धारित औसत माल सूची में वर्ष **2019-20** में वृद्धि हुई और आगे वर्ष **2020-21** में उसमें तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि औसत माल सूची में गिरावट इस तथ्य के कारण हुई है कि इसने जांच की अवधि के अंतिम **6** महीने के **5** महीनों में उत्पादन नहीं किया था। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा धारित औसत माल सूची बहुत अधिक बनी हुई है।

ङ. रोजगार, मजूदरी और उत्पादकता

81. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है :

क्र. .सं	**विवरण**	**यू ओ एम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	117	93
2	वेतन एवं मजदूरी	रुलाख .	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	132	104
3	प्रतिदिन उत्पादकता	किग्रादिन /.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	126	72
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	किग्रा.सं /.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	107	78

82. **कर्मचारियों की संख्या और घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किया गया वेतन अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह उत्पादन के अनुरूप चला है। उसी प्रकार से, प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी उत्पादन के अनुरूप रहा है।**

च. वृद्धि

83. **उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में वृद्धि नीचे तालिका के अनुसार है :**

क्र. .सं	**विवरण**	**यू ओ एम**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	उत्पादन	वाई/ वाई	-40%	111%	-42%
2	बिक्री	वाई/ वाई	-11%	3%	35%
3	प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	वाई/ वाई	-54%	-37%	31%
4	मालसूची	वाई/ वाई	48%	140%	-21%
5	बाजार हिस्सा	वाई/ वाई	-23%	-19%	53%
6	कर पूर्व लाभ	वाई/ वाई	-36%	-42%	7%
7	नकद लाभ	वाई/ वाई	-53%	-55%	7%

8	ब्याज और कर पूर्व लाभ (पी बी आई टी)	वाई/ वाई	-57%	-43%	-28%
9	ब्याज पर प्रतिफल (आर ओ आई)	वाई/ वाई	-96%	-55%	-20%

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन, माल सूची, पी बी आई टी और आर ओ आई के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है। हालांकि, बिक्री, लाभ, बाजार हिस्सा, कर पूर्व लाभ और नकद लाभ के मामले में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक रही है।

छ. पाटन का परिमाण

85. पाटन का परिमाण उस सीमा का एक संसूचक है जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। प्राधिकारी ने इस प्रारंभिक जांच परिणाम के एक भाग के रूप में अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया है कि सहयोग करने वाले निर्यातकों का पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

86. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हो रही है और यह सकारात्मक अंशदान अर्जित करने के लिए सक्षम नहीं है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, इस उद्योग का प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. यह देखा जाता है कि पाटित आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कमतर है। घरेलू उद्योग कीमत के आधार पर इन आयातों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस कारण से कीमत में नकारात्मक कटौती हुई है। आयात की कम कीमत ने घरेलू उद्योग को लाभप्रद कीमते वसूलने से रोका है। घरेलू उद्योग की कीमते आयातों के कारण कम रही है। उसको देखते हुए, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रधान कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की कीमत है।

88. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को एक रुग्ण इकाई घोषित किया गया था और 2013-2016 के बीच व्यापार बिलकुल रूक गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दी गई सूचना उस अवधि से संबंधित है जो क्षति की अवधि के पूर्व की अवधि थी। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, 2016 में निरस्त कर दिया गया था और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता इस अधिनियम की परिधि से बाहर हो गये। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध बंद होने वाली सभी याचिकाओं को 2018 तक वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू जैसे उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग की विगत रुग्णता के कारण क्षति हुई। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू जैसे उत्पाद का रूक रूक कर उत्पादन किये जाने के कारणों में एक कारण देश में विचाराधीन उत्पाद का पाटन और न कि विगत में घरेलू उद्योग की रुग्णता थी। हालांकि, प्राधिकारी ने अपने पूर्व की जांचों में घरेलू उद्योग के भाग के रूप में रुग्ण इकाईयों पर भी विचार किया है।

89. आपूर्ति किये गये उत्पाद कि निम्नतर गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग की माल सूची में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये अनुरोध पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इसकी मात्रा नहीं बताई है कि किस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किया गया उत्पाद निम्नतर था। हितबद्ध पक्षकारों ने इस उत्पाद के विनिर्देशों अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में किसी संभावित अंतर जिसके फलस्वरूप माल सूची में वृद्धि हो सकती थी, नहीं दर्शाया है। हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति की अवधि के दौरान कीमतों में बहुत तेज

गिरावट पर विचार नहीं किया है। यदि घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता निम्नतर होती तब विदेशी उत्पादक को बल्कि बेहतर कीमत मिली होती और इन कीमतों को इतनी तीव्र गति से कम करना अपेक्षित नहीं हुआ होता। हालांकि यह देखा जाता है कि कीमतों में तीव्र गिरावट हुई थी। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह उत्पाद की गुणवत्ता थी जिसने घरेलू उद्योग को बाजार में उत्पाद की बिक्री करने से रोका है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद निम्नतर गुणवत्ता का है।

90. यह तर्क दिया गया है कि इस उत्पाद का एक सीमित उपयोगी समय सीमा है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को प्रभावित कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कारण की घरेलू उद्योग माल सूची जमा करने के लिए बाध्य रहा है, पाटित आयातों के कारण है। उन महीनों में भी जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन किया, यह हानि पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ था। इस उत्पाद की उपयोगी समय सीमा का मुद्दा केवल इस घरेलू उद्योग के लिए असामान्य नहीं है और आयात के मामले में भी यह मुद्दा उठेगा। हालांकि, किसी भी निर्यातक ने इस दावा नहीं किया है। कम उपयोगी समयसीमा इस देश में उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

91. इस तर्क के संबंध में कि कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति के लिए एक प्रमुख कारण है, प्राधिकारी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अवलोकन पर नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि कोविड का इसके प्रचालनों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं रहा है। इसके अलावा, यह भी देखा जाता है कि जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कोविड के प्रादुर्भाव के कारण लगाया गया था, घरेलू उद्योग जो फार्मास्टिकल क्षेत्र में कार्यरत था जो आवश्यक सेवाओं का भाग बनता है, को उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि किस प्रकार से कोविड महामारी ने इसके प्रदर्शन को प्रभावित किया। इस कारण से प्राधिकारी को इस दावे में कोई दम नजर नहीं आता है।

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद गालस्टोन बीमारी (कोलेलिथियासिस) में चिकित्सीय थैरेपी में और बायलियरी स्लज के लिए उपयोग की जाने वाली एक सक्रिय फार्मा तत्व (ए पी आई) है। यह आवश्यक लेकिन व्यापक रूप से उपयोग न की जाने वाली दवा है। इस उत्पाद एक सक्रिय फार्मा तत्व होने के कारण कम उपयोगी समयसीमा है।

93. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू समान उत्पाद के रूक रूक कर उत्पादन और क्षमता का कम उपयोग के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि इस उत्पाद की कम उपयोगी समय सीमा है और घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा उत्पादन की मात्रा से बहुत अधिक कम रही है, घरेलू उद्योग रूक रूक कर उत्पादन करने के लिए बाध्य था। इसका उत्पादन कुछ महीनों में किया गया था और इसके फलस्वरूप माल सूची जमा हो गई और इसके परिणामस्वरूप बाद में उत्पादन रूक गया। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि जब उत्पादन की मात्रा को आरंभ में कम रखा गया था, यह उत्पादन बहुत अधिक नियमित था। यह भी दावा किया गया है कि जांच की अवधि में जब याचिकाकर्ता ने उत्पादन की सीमा तक बहुत अधिक कटौती की, तब इसे इस प्रकार से बहुत अधिक जमा की गई माल सूची का सामना करना पड़ा था और इसे उत्पादन रोकना पड़ा था और बहुत लंबे समय तक उत्पादन से बाहर रहना पड़ा। हालांकि, जबकि उत्पादन को रोक दिया गया था, फिर भी बिक्री भंडार से जारी रही।

94. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा कम उत्पादन पाटन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण नहीं हुआ है और इस कारण से लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना उपयुक्त होगा। इस कारण से, प्राधिकारी ने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया है।

क्र. सं.	अवधि	क्षमता	प्रारंभिक भंडार	उत्पादन	घरेलू बिक्री	अंतिम भंडार	क्षमता का उपयोग
		किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	%
1	अक्टू.-20	***	***	***	***	***	***

2	नवं.-20	***	***	***	***	***	***
3	दिसं.-20	***	***	***	***	***	***
4	जन.-21	***	***	***	***	***	***
5	फरवरी-21	***	***	***	***	***	***
6	मार्च-21	***	***	***	***	***	***
7	अप्रैल-21	***	***	***	***	***	***
8	मई-21	***	***	***	***	***	***
9	जून-21	***	***	***	***	***	***
10	जुलाई-21	***	***	***	***	***	***
11	अगस्त-21	***	***	***	***	***	***
12	सितं.-21	***	***	***	***	***	***
	कुल	***	***	***	***	***	***

क्र . .सं	**अवधि**	**क्षमता**	**प्रारंभिक भंडार**	**उत्पादन**	**घरेलू बिक्री**	**अंतिम भंडार**	**क्षमता का उपयोग**
		किग्रा.- प्रवृत्ति	**किग्रा.- प्रवृत्ति**	**किग्रा.- प्रवृत्ति**	**किग्रा.- प्रवृत्ति**	**किग्रा.- प्रवृत्ति**	**%- प्रवृत्ति**
1	अक्टू.-20	100	100	-	100	100	-
2	नवं.-20	100	50-70	-	60-80	40-60	-
3	दिसं.-20	100	20-40	-	10-30	30-50	-
4	जन.-21	100	20-40	100	20-40	170-190	100
5	फरवरी-21	100	100-120	10-30	10-30	200-220	10-30
6	मार्च-21	100	120-140	30-50	20-40	250-270	30-50
7	अप्रैल-21	100	140-160	-	60-80	190-210	-
8	मई-21	100	110-130	-	110-130	120-140	-
9	जून-21	100	70-80	-	0-20	110-130	-
10	जुलाई-21	100	70-80	-	-	110-130	-
11	अगस्त-21	100	70-80	10-30	70-90	80-100	10-30
12	सितं.-21	100	50-60	-	40-60	60-80	-
13	कुल	***	***	***	***	***	***

95. जहां तक कोरिया गणराज्य से आयातों द्वारा क्षति का न होना अथवा चीन जन. गण. की तुलना में कोरिया गणराज्य से मांग अथवा बहुत अधिक आयात कीमत के संबंध में कोरिया गणराज्य से आयातों में गिरावट का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी से घरेलू उद्योग को क्षति का संचयी आकलन करना अपेक्षित है जब यह सिद्ध हो जाये कि इस संबंध में कानून के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों को पूरा कर लिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क नहीं है कि क्षति के संचयी आंकलन से संबंधित मापदंड वर्तमान मामले में पूरे नहीं किये जाते हैं।

96. संभावित अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचार किये गये घरेलू उद्योग को क्षति संभावित अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है। प्राधिकारी ने पहले ही इस बात की जांच की है और यह पाया है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी अन्य संभावित कारक की पहचान नहीं की है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

97. उपायों के संदर्भ कीमत रूप के संबंध में, प्राधिकारी ने उसे आगे की जांच लंबित रहने तक वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से उसे उपयुक्त माना है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह घरेलू उद्योग को उचित कीमत का निर्धारण करने की अनुमति देगा और उसके साथ ही आयातकों को गैर-संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में उचित कीमत और कीमतों पर इस उत्पाद का आयात करने की अनुमति देगा।

सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन/ कम कीमत पर बिक्री

98. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/ आंकड़ों को लेकर किया गया है। घरेलू उद्योग की एन आई पी तय की गई है और इसकी तुलना विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से से प्रत्येक देश से पहुंच कीमत से की गई है।

क्र . .सं	विवरण	एनआईपी यूएस डॉलर/ क्रिगा.	पहुंच मूल्य यूएस डॉलर/ क्रिगा.	क्षति मार्जिन		
				यूएस डॉलर/ क्रिगा.	%	रेंज
1	**चीन जन.गण .**					
क	झोंगशॉग बेलिंग कं .लिमि .	***	***	***	***	150-160
ख	सिचुआन जिएली फार्मास्युटिकल कं .लिमि .	***	***	***	***	130-140
ग	सूजौ तियानुलू बॉयो - .लिमि .टिकल कंफार्मास्यु	***	***	***	***	130-140
घ	अन्य	***	***	***	***	170-180
2	**कोरिया गणराज्य**					
क	देवूंग बॉयो इंकॉपोरेटिड	***	***	***	***	90-100
ख	अन्य	***	***	***	***	110-120

ञ. क्षति का समग्र आकलन

99. **उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष अनंतिम रूप से निकाला गया है :**

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है। कुल मिलाकर, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में वृद्धि हुई है। इसमें घरेलू उद्योग के खपत और उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

ख. कीमत में कटौती नकारात्मक है।

ग. पाटित आयात बहुत कम कीमत पर हुए हैं और वे घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम है।

घ. घरेलू उद्योग अपनी कीमत को बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा है और इसने कीमत बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है।

ङ. घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास के कारण हानि हुई है क्योंकि बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

च. घरेलू उद्योग कम क्षमता उपयोग पर कार्य करता रहा है।

छ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बहुत कम है।

ज. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान हानि हुई है। इसके अलावा, हुई हानि जांच की अवधि में और हो गई है।

झ. घरेलू उद्योग को नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय हुआ है।

ञ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक सकारात्मक है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

100. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन और उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर उपर्युक्त कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

101. संबद्ध देशों को छोड़कर, आयातों का **47** प्रतिशत गैर-संबद्ध देशों से हुआ है और वे विशेष रूप से यूरोपीय यूनियन से हुए हैं। हालांकि, यूरोपीय यूनियन से आयातों की पहुंच कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। इस कारण से ये आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।

ख. मांग में संकुचन

102. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं की मांग घरेलू उद्योग की क्षमता की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में केवल *** प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कार्य किया है। इस कारण से प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष है कि मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का एक कारण नहीं हो सकता है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

103. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में किसी ज्ञात वास्तविक परिवर्तनों से संबंधित किसी साक्ष्य का उत्पादन नहीं किया है। इस कारण से, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खपत के पैटर्न में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां

104. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इस कारण से प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ङ. प्रौद्योगिकी का विकास

105. प्राधिकारी के समक्ष किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में किसी ज्ञात और वास्तविक परिवर्तनों जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण से, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

106. घरेलू उद्योग निर्यात प्रचालनों में नहीं लगा हुआ है। इस कारण से, निर्यात कार्यनिष्पादन क्षति का कारण नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

107. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यनिष्पादन के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है। इस कारण से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गये अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

108. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। यह देखा जाता है कि प्रतिदिन उत्पादकता, उत्पादन के अनुरूप रही है। इस कारण से घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति का संभावित कारण नहीं है।

109. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूचीबद्ध ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं प्रतीत होता है जो घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकता था।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

110. **प्राधिकारी का अनंतिम रूप से निष्कर्ष नीचे दिया गया है :**

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात भारत में इसकी संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप पाटन हो रहा है।

ख. कुल मिलाकर, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पाटित आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में वृद्धि हुई है। इसमें घरेलू उद्योग के कुल खपत और उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

ग. जांच की अवधि में आयात कीमतों में बहुत अधिक गिरावट हुई है। पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है, जिसने घरेलू उद्योग को लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने से रोका है। संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है क्योंकि वे बाजार में कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण बाजार में वांछनीय मात्राओं की बिक्री करने में सक्षम नहीं हुआ है।

ङ. पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और बहुत अधिक मात्रा में है।

च. संबद्ध देशों से बढ़ते हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने हानि पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित योगदान भी जांच की अवधि में नकारात्मक है।

ज. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मात्रा और कीमत प्रभाव के परिणाम के रूप में लगाई गई पूंजी पर आय, लाभ और नकद लाभ के मामले में उस सीमा तक तेजी से गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय हुआ है।

अ. भारतीय उद्योगों के हित और अन्य मुद्दे

अ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

111. **भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।**

अ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

112. **घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:**

क. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलेगी और यह घरेलू निर्माताओं के हित में होगा।

ख. उपभोक्ता को माल सूची की उच्चतर सीमा बनाये रखनी होगी यदि वे आयात की सामग्री पर निर्भर हों। हालांकि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, माल सूची धारण बहुत कमतर स्तर पर रखा जा सकता है।

ग. बाजार में कीमतें घरेलू उत्पादन की उपस्थिति में उचित और प्रतिस्पर्धी रहेगी।

घ. आर्क फार्मा भारत में एक प्रमुख उत्पादक है। बहुत अधिक मात्राओं में लगातार पाटन के फलस्वरूप उत्पादन पूर्णरूप से रूक सकता है।

ङ. घरेलू बाजार में उरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड की मौजूदा कीमतें किसी उत्पादक के लिए अर्थक्षम नहीं है। इस कारण से घरेलू उद्योग समय समय पर उत्पादन में कटौती करने अथवा उसे अस्थगित करने के लिए बाध्य रहा है।

च. जनहित अभिव्यक्ति अपने आप को केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं करता है और यह वास्तव में एक बहुत व्यापक परिभाषिक शब्द है जो घरेलू उद्योग को भी शामिल करता है।

छ. घरेलू उद्योग के पास *** किग्रा. क्षमता है और इसका मौजूदा हिस्सा केवल *** प्रतिशत है। यदि ये शुल्क चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों पर लगाया जाता है तब घरेलू उद्योग मांग का 55-60 प्रतिशत की पूर्ति करने में सक्षम होगा (गैर-संबद्ध देशों से आयातों पर विचार किये बिना)।

ज. अपने संयंत्र में बहुत लघु परिवर्तन के साथ, अपनी क्षमता का विस्तार *** किग्रा. तक कर सकता है जिसके लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है। भारतीय उद्योग भारत में आगे निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

झ. उरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड की कीमत में वृद्धि का बाइल प्राइमरी बिलयरी ने अधिक कॉलेस्ट्राल के लिए आशोधन की लागत में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। यह व्यापक रूप से उपयोग की गई दवा नहीं है।

ञ. इस प्रकार की दुर्लभ बीमारी के लिए आयात किये गये ए पी आई दवा पर निर्भरता व्यापक रूप से जनता के हित में नहीं है।

ट. अत्यधिक कॉलेस्ट्राल के उपचार के लिए एक रोगी को उरसोकोल 150 मिग्रा. टेबलेट और नावासटेट टी जी 10 दोनों 15 दिनों तक और अजिथरल 250 मिग्रा. 5 दिनों तक लेना अपेक्षित है। चिकित्सक का शुल्क, अन्य दवाओं की लागत सहित पूरे आशोधन की लगभग कुल लागत जिसे इस दवा के साथ लेना अपेक्षित है मुश्किल से 1500 रुपए होगा। उपचार की लागत में समग्र वृद्धि 15 दिनों के उपचार कोर्स के लिए 25-30 रुपए होगा।

ठ. उर्सोकोल के एकल कैप्सूल पर डंपिंग रोधी शुल्क का प्रभाव 2.39 रुपये से लेकर 7.17 रुपये तक होता है, जो कैप्सूल की यूडीसीए सामग्री पर निर्भर करता है।

ड. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर रोक नहीं लगेगी। आयात सभी स्रोतों से होना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष और न्यायोचित कीमत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है और न कि आयातों को रोकना है। यूरोप से बहुत अधिक मात्रा में आयात हो रहा है।

ढ. भारत ए पी आई के लिए चीन जन. गण. पर लंबे समय से निर्भर रहा है। चीन के उत्पादकों ने बहुत कम कीमतों पर उत्पाद की पेशकश की है जिसने भारतीय उद्योग को प्रभावित किया था। जैसे ही भारतीय उद्योग समाप्त होता है, चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में तेजी से वृद्धि की है जिसमें प्रयोक्ताओं को प्रभावित किया है।

ण. चीन के उत्पादकों ने 562 रुपए प्रति किग्रा. की कीमत पर पेनिसिलीन-जी की आपूर्ति की और भारतीय उद्योग इन कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि उद्योग समाप्त हो गया, अत: चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में वृद्धि की। वर्ष 2020-21 के लिए कीमतें 1,262 प्रति किग्रा. थी। वैसी ही स्थिति उस स्थिति में होने जा रही है जब भारतीय उद्योग यू डी सी ए के लिए समाप्त हो जाता है।

त. कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति चयन को बहुत अधिक तोड़ा है। कई संगठनों को यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों के कारण हानि हुई। ऐसी स्थिति में, यह सभी स्टेकहाल्डरों के हित में है कि आयातों पर निर्भरता कम की जाये। शुल्क लगाये जाने से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी।

थ. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम उत्पादों पर बहुत अधिक होगा जो इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि जबकि दो उपभोक्ताओं ने भाग लिया है, किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

द. उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकता है। उपभोक्ताओं ने उचित बाजार स्थितियों पर विचार करते हुए अपने संयंत्रों को स्थापित किया है।

ध. पाटनरोधी शुल्क इस उद्योग के लिए संरक्षण नहीं है बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने के लिए एक तंत्र है।

न. पाटनरोधी कानून के उद्देश्य को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (202) इ. एल. टल. 23 (एस. सी.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अच्छे तरीके से मान्यता दी गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी और उसका उल्लेख किया गया था।

प. उपभोक्ताओं को पहले से ही भारतीय कोरिया फ्री मुक्त व्यापार करार के बल पर कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रियायती शुल्क मिल रहा है। वर्तमान में कोरिया गणराज्य से यू डी सी ए के आयातों पर शुल्क का शून्य दर लगेगा।

ञ. 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त किया जायेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से इन उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

114. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाये जाने के प्रभाव का आकलन किया, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव तथा कुल मिलाकर जनहित पर प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किये गये अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है।

115. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों जिसमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद के परस्पर बदले जाने की क्षमता, दूसरे स्रोतों को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, उन कारकों जिनके कारण संभवत: पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन को गति दी जायेगी अथवा विलंब होगा, पर सूचना मांगी।

116. घरेलू उद्योग के प्रचालनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वर्तमान मामले में पाटित आयातों के कारण हानि होती रही है। घरेलू उद्योग सकारात्मक अंशदान अर्जित करने के लिए अधिक कीमतों पर भी बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है। इसे अपने निवेश को फिर से प्राप्त करने के उद्देश्य से और आगे निवेश करने की योजना बनाने के उद्देश्य से समुचित लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है। हालांकि, वर्तमान में यह कार्यनिष्पादन पर्याप्त नहीं है और घरेलू उद्योग उत्पादन को स्थगित रखने के लिए बाध्य रहा है। घरेलू उत्पाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि घरेलू उत्पादक उचित कीमतों पर अर्थक्षम रहें जिसके न होने पर प्रयोक्ता पाटित आयातों पर बहुत अधिक निर्भर हो जायेंगे।

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं की भागीदारी उन्हें अपने प्रचालनों पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाता है। प्राधिकारी जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं और उसका निर्धारण कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और इस पर विस्तारपूर्वक बताने के लिए कि किस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने के बावजूद, किसी भी प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव पर संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

118. यह भी देखा जाता है कि शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता नहीं रहेगी। शुल्क लगाये जाने से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसके अलावा, सभी गैर-संबद्ध देशों से बहुत अधिक आयात हो रहे हैं। घरेलू उद्योग के पास *** किग्रा. की क्षमता है जो कुल मांग का *** प्रतिशत और मांग का *** प्रतिशत (गैर-संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरी की जा रही मांग को छोड़कर) है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह सूचना दी है कि *** किग्रा. तक इसकी क्षमता का विस्तार करने के लिए अपेक्षित निवेश अधिक नहीं है और पाटित आयातों के द्वारा पूरी की जा रही समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

119. इस कारण से, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

120. **हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का अनंतिम रूप से निष्कर्ष निम्नलिखित है :**

क. याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से यह पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

ग. इस आवेदन में जांच की शुरुआत के उद्देश्य से संगत सभी सूचना शामिल थी और इसके साथ ही वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य भी निहित था।

घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।

ङ. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित को देखते हुए वास्तविक क्षति हुई है :

i. **संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।**

ii. **इसमें घरेलू उद्योग की कुल खपत और उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है।**

iii. **आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ, संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में बहुत अधिक हद तक गिरावट हुई है।**

iv. **आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है।**

v. **घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में उत्पादन करने और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है।**

vi. **घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बहुत कम है।**

vii. **घरेलू उद्योग को अपने घरेलू प्रचालनों में हानि हुई है।**

viii. **घरेलू उद्योग को नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय हुआ है।**

ix. **कोई अन्य कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।**

च. हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के द्वारा हुई है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कोई बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव जनहित पर नहीं पड़ेगा।

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलू पर सकारात्मक सूचना के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/ आंकड़ों के अनुसार और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की प्रारंभिक जांच करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना इस जांच के पूरा होने तक पाटन और उसके परिणामी क्षति को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं।

122. इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 12 और नियम 13 में निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। इस मामले की तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और किये गये अनुरोधों के संबंध में, इसे पाटनरोधी शुल्क के बैंचमार्क/ संदर्भ रूप की सिफारिश करने के लिए उपयुक्त माना है। प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये जाने वाली अधिसूचना की तिथि से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और संदर्भ कीमत के बीच अंतर के रूप में लगाये जाने की सिफारिश करते हैं बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाये गये मूल्य से कम हो।

123. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच सीमा शुल्क 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाये गये शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर पर आकलन योग्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29*	उरसोडॉक्सीक्लोरिक एसिड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	झोंगशॉन बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लिमि.	424.17	किग्रा.	यू एस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	सिचुआन जिएली फार्मास्युटिकल कं. लिमि.	429.33	किग्रा.	यू एस डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	सुझोऊ तियानलू बॉयो-फार्मास्युटिकल कं. लिमि.	439.47	किग्रा.	यू एस डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी अन्य उत्पादक	455.01	किग्रा.	यू एस डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	455.01	किग्रा.	यू एस डॉलर
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	देवूंग बॉयो इंकार्पोरेटिड	371.18	किग्रा.	यू एस डॉलर
7	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी अन्य उत्पादक	374.45	किग्रा.	यू एस डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	374.45	किग्रा.	यू एस डॉलर

* 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942.

हालांकि, इस उत्पाद का प्रमुख रूप से आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

124. **नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करने के उपरांत किया जायेगा :**

क. प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जायेगा।

ख. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संगत अपने दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के वास्ते नियम 6(6) के संदर्भ में मौखिक सुनवाई करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों और व्यक्त की गई चिंताओं की जांच अंतिम जांच परिणामों में की जायेगी।

ग. मौखिक सुनवाई की तिथि की घोषणा डी जी टी आर की वेबसाइट पर (dgtr.gov.in) पर की जायेगी।

घ. प्राधिकारी आवश्यक मानी गई सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।

ङ. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने के पूर्व इस नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

Case No. ADD (O.I.) 15/2021

PRELIMINARY FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Ursodeoxycholic Acid (UDCA)" originating in or exported from China PR and Korea RP

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/15/2021-DGTR.—1. M/s Arch Pharmalabs Limited (hereinafter referred to as the "Domestic Industry" or "Petitioner") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Act") as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules") for initiation of an Anti-dumping investigation and imposition of Anti-dumping Duty on imports of "Ursodeoxycholic Acid" also known as UDCA (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "PUC" or the "subject goods") from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/15/2021-DGTR dated 24th January 2022 in the Gazette of India Extraordinary initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

A. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassies of the subject countries/territories in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice dated 24th January 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co., Ltd., China PR.

ii. Zhongshan Belling Biotechnology Co. Ltd., China PR.

iii. Sinobright Import and Export Co., Ltd, China PR.

iv. SDART International Inc., China PR.

v. Meishan Xingong Bio Co, Ltd., China PR.

vi. Daewoong Bio Inc., Korea RP

g. In response to the above notification, following producers/exporters have submitted the exporter questionnaire responses:

i. Zhongshan Belling Biotechnology, China PR.

ii. Sichuan Xieli, China PR.

iii. Sinobright Import and Export Co., Ltd., China PR.

iv. Farmasino Co., Ltd, China PR

v. Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd, China PR

vi. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd, China PR

vii. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP

h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. DPB Antibiotics Limited

ii. Medreich Limited

iii. Sun Pharma Laboratories Limited.

iv. Win-Medicare Private Limited.

v. Ind-Swift Limited.

vi. Knowell Pharma Solutions LLP

vii. Cadila Healthcare Limited.

viii. Strides Pharma Science Limited.

ix. Eastern Chemicals (Mumbai) Private Limited.

x. Par Formulations Private Limited.

xi. Watson Pharma Private Limited.

xii. Glenmark Pharmaceuticals Limited.

xiii. Amneal Pharmaceuticals Private Limited.

xiv. Abbott India Limited.

i. Sun Pharmaceutical Industries Limited has filed importer questionnaire response.

j. Additionally, China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health Product have filed preliminary submissions.

k. Extension was granted to the interested parties to file questionnaire response upon request made. The first extension was granted upto 9th March 2022 and thereafter upto 23rd March 2022.

l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of an e-file through e-mail for the interested parties.

m. Since the transaction-wise details of import data was not provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the Authority called upon DG Systems to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority has relied upon DG Systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

n. Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

o. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of these preliminary findings. Information was sought from the domestic industry and the other interested parties to the extent deemed necessary.

p. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st October 2020 to 30th September 2021 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation.

q. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

r. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.

s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.

t. '***' in this finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $= Rs 74.53.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration was defined at the time of initiation of the investigation was: -

"The product under consideration in the present investigation is Ursodeoxycholic Acid Ursodeoxycholic Acid is also known as Ursodiol or UDCA.

UDCA is used as medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It may be given after bariatric surgery to prevent cholelithiasis. UDCA is also used as a therapy in primary biliary cholangitis where it can produce an improvement in biomarkers. It is also used to treat primary sclerosing cholangitis. Intrahepatic cholestasis of pregnancy, bile reflux gastritis, etc.

The product is classified under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under various subheadings of the tariff custom classification such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The other interested parties have not made any submission with regard to the product under consideration.

C.2 Submissions made by the domestic industry

6. The submissions made by the domestic industry in regard to the product under consideration are as follows: -

i. Ursodeoxycholic Acid also known as ursodiol, is a naturally occurring bile acid. Ursodeoxycholic Acid has molecular formula C24H40O4.

ii. The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under various subheading such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942 of the Tariff Classification. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990.

iii. UDCA is produced by transformation of Cholic Acid (CA) or Chenodeoxycholic acid (CDCA), which is derived from processing Bovine Origin Bile (Ox Bile) or Porcine Origin Bile (Pig Bile) or Avian Bile (Bird Bile).

iv. The Product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable for the alleged dumped goods and is a like article to the imported product.

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration are examined and addressed hereunder.

8. The product under consideration in the present investigation is Ursodeoxycholic Acid. Ursodeoxycholic Acid is also known as Ursodiol or UDCA. UDCA is produced using Cholic Acid as the raw material which is oxidized to convert into Chenodeoxycholic acid. The Chenodeoxycholic acid so formed is then through enzymatic oxidation transformed into Lithocholic acid. By bio-catalytic reduction, it gets reduced to Ursodeoxycholic acid Crude and which when further treated forms Ursodeoxycholic acid.

9. Ursodeoxycholic Acid is an active pharmaceutical ingredient. UDCA is used as medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It may be given after bariatric surgery to prevent cholelithiasis. UDCA is also used as a therapy in primary biliary cholangitis where it can produce an improvement in biomarkers. It's not a widely used medicine. UDCA is not a raw material or intermediate for the medicines required for the above treatment but is the ingredient for the medicines for the treatments.

10. The product is classified under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under various subheadings of the tariff custom classification such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

11. No party has contended that there is any difference in the product under consideration and the like article produced by the domestic industry. It is seen from the information on record that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The end product has comparable specifications and is used interchangeably. It is further noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. Thus, the Authority provisionally holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

12. The submissions made by the domestic industry in regard to the domestic industry and standing are as follows: -

i. Arch Pharmalabs Limited is the only existing producer of UDCA API in India.

ii. Shilpa Medicare Limited entered into a joint venture agreement with ICE S.P.A, Italy and formed a new company namely Raichem Medicare (P) Limited.

iii. Raichem Medicare Private Limited manufactures 3A-7B – Dihydroxy -5 B-Cholan-24-OIC Acid, which is an advanced intermediate of UDCA API.

iv. IOL Chemicals Limited had the plan to produce UDCA on a campaign basis, but their current status is unknown.

v. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries.

vi. The domestic industry is not related to either exporter of the subject goods from the subject countries or importers in India.

D.2 Submissions made by the other interested parties

13. The submissions made by the other interested parties in regard to the domestic industry and standing are as follows: -

i. The domestic industry has not accounted production by Shilpa Medicare Ltd, Raichem Medicare Pvt. Ltd and IOL Chemicals Limited, in ascertaining the standing.

ii. As per annual report of Shilpa Medicare Ltd., the company is also engaged in the production of Ursodeoxycholic acid in India.

iii. Raichem Medicare Ltd. is also engaged in production of Ursodeoxycholic Acid (UDCA) in India.

iv. There is no basis to exclude production and sales of the three producers for determination of standing and assessment of demand.

D.3. Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

> "*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

15. With regards to the submissions made by the other interested parties, on other companies also undertaking production of UDCA, the Authority had sent communication to Raichem Medicare Private Limited and IOL Chemicals Limited for ascertaining their status of production. However, no response has been received from Raichem Medicare Private Limited. As per information available with the Authority, Shilpa Medicare Limited has entered into a joint venture with ICE S.P.A, Italy and formed a new company Raichem Medicare Private Limited. The product manufactured and sold by Raichem Medicare Private Limited is an advanced intermediate of UDCA API which is not a like article to the product under investigation. IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited has provided the production and sales data, which has been taken into account for the purpose of ascertaining the total Indian production and Indian demand.

16. The application has been filed by Arch Pharmalabs Limited. The petitioner has not imported the subject goods in the period of investigation and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. The production of the petitioner accounts for majority i.e., more than 80% of the total production in India. Accordingly, the Authority holds that the petitioner constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application meets the requirements of 'standing' under Rule 5(3).

E. MISCLEANOUS SUBMISSIONS

E.1 Submissions made by the other interested parties

17. The miscellaneous submissions made by the interested parties are as follows: -

a. The domestic industry has relied upon secondary import data as against DGCI&S import data and claimed the same as confidential. Further, the domestic industry has not provided the source of the import data. The Authority is requested to share non-confidential import data with the respondents.

b. The non-confidential version of the petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Director General. Format VI (Costing Information) has been claimed completely confidential.

c. The initiation of the present investigation is totally baseless, and the investigating Authority ought to terminate the current investigation.

d. Initiation notification does not reflect that the adjusted data has been considered for prima-facie evaluation of injury.

e. Adjusted data filed by the domestic industry does not provide an "objective examination" of injury.

f. Special Economic Zone (SEZ) units are outside the Indian Customs Territories and imports into SEZ should not be considered.

g. The Authority in various past investigations such as anti-dumping investigation concerning imports of non-woven fabric and safeguard investigation of electrical insulators did not consider import data concerning SEZ.

h. The Authority has also noted in the past that SEZ units do not compete with other domestic units and such imports within SEZ do not cause any injury.

i. The domestic industry has failed to disclose its computation of NIP or injury margin range.

j. The Authority is requested to impose anti-dumping duty based on reference price.

E.2 Submissions made by the domestic industry

18. The miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows: -

i. Consumption of porcine bile can lead to transfer of H1N1 virus from pigs to humans. Ministry of Health and Family Welfare has declared imports of Ursodeoxycholic acid extracted and prepared from porcine sources as a prohibited drug.

E.3 Examination by the Authority

19. The present investigation was initiated by the Authority based on the data and information provided by the domestic industry, after prima facie satisfying itself that there is sufficient evidence of the dumping, injury and the causal link. Further, subsequent to the initiation, information has been sought from the domestic industry to the extent deemed necessary and the same has been provided by the domestic industry.

20. On confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in subrules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

21. The Authority made available non-confidential versions of the information provided by various interested parties to all the interested parties.

22. The Authority examined the information provided by the domestic industry and other interested parties on a confidential basis for sufficiency of such claims in accordance with Rule 7 of the AD Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made by the other interested parties

23. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. China Protocol of Accession was only valid for 15 years. After 11th December 2016 no matter how, China PR is classified under the domestic law of a particular WTO Member, normal value must be determined based on Chinese prices and costs.

ii. As proposed by the domestic industry, normal value cannot be determined based on the import price from European Union (Italy) as level of development in Italy and China PR are not comparable.

iii. There is no dedicated code available to ascertain export price from Europe to India.

F.2 Submissions made by the domestic industry

24. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.

ii. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article l5(a)(i) continue to remain in force, which require the producers to show that they are operating under the market economy conditions. The Authority has considered China PR as a nonmarket economy in all the recent investigations unless the producers/exporters demonstrate that they are operating under the market economy conditions.

iii. Chinese producers must establish that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value are appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter or producer under investigation.

iv. The price lists or commercial invoices for sales in the local market of the country are commercially sensitive information and therefore not available in the public domain.

v. The product under consideration does not have dedicated HS code and is imported and exported under various HS codes.

vi. The normal value may be determined on the basis of the estimates of the raw material and other conversion costs of the domestic industry and reasonable profits.

F.3 Examination by the Authority

25. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

26. The Authority notes that the following producers and exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire response: -

i. Zhongshan Belling Biotechnology, China PR.("Belling")

ii. Sichuan Xieli, China PR.("Xieli")

iii. Sinobright Import and Export Co., Limited., China PR.

iv. Farmasino Co., Limited, China PR ("Farmasino").

v. Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Limited, China PR ("Dawn Ray")

vi. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Limited, China PR ("Tianlu")

vii. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP ("Daewoong").

F.3.1 Normal Value and Export price for China PR

Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

27. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

28. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

29. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

30. Para 7 of Annexure I to the AD Rules lays down the hierarchy for determination of normal value and provides that the normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7.

31. The petitioner has claimed normal value on the basis of the export price of the subject goods from European Union to India. The Authority, at the stage of initiation of the investigation, had considered the constructed the normal value for China PR.

32. The Authority notes the existing jurisprudence on determination of normal value in case of non-market economy, and decision of the Hon'ble Supreme Court in Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs. M/s Exide Industries Ltd. (Civil Appeal No. 61711/2003 dated 23/12/2005), Guwahati High Court in M/s Century Plyboards (I) Ltd &Anr. Vs. Union of India & Anr. (W.P No. 6568/2017 dated 4/0l/20l8) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in Apollo Tyres Ltd. vs Union of India (Appeal Nos. C1768,600,601,773,769/2005-AD-dated 09/09/2005), Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding implementation of Para 7 of Annexure 1 to AD Rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.

33. As the first requirement, the Authority is required to consider normal value on the basis of the price or constructed value in a market economy third country. However, neither the petitioner nor any interested party has provided any information on costs or prices in any market economy third country. Further, no information in this regard is available in public domain. Therefore, normal value could not be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country. The next option is to consider normal value on the basis of price from such a third country to other countries, including India. It is seen that the product under consideration does not have dedicated customs HS code. Therefore, the normal value could not be

determined on the basis of export price from market economy third country to other countries. The Authority has information available with regard to imports into India. The Authority examined the transaction wise import data and found that there are significant imports from European Union to India. It is seen that around 47% of imports of the subject goods are from European Union, and there is no anti-dumping measure in force. Imports from European Union have not been considered as dumped imports in the present investigation. The Authority also notes in this regard, the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is the volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation.

34. Therefore, the Authority considers that the export price from European Union to India can be considered for determination of normal value for China PR. The Authority has considered CIF price from European Union to India, and adjusted the same to arrive at ex-factory level. The normal value so determined has been disclosed in the dumping margin table.

Determination of export price

a. **Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd, China PR**

35. Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd who is a producer and exporter of the subject goods in China PR, has filed questionnaire response. During the period of investigation, the producer has exported ***** KG** of the subject goods for *****USD$** directly to unrelated customers in India. The producer has provided relevant information in the form and manner required, and has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges, port and other expenses, and credit cost and the same is provisionally allowed by the Authority subject to detailed verification and examination. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd has been provisionally determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the dumping margin table below.

b. **Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. (Producer) and Sinobright Export and Import Co., Limited (Exporter)**

36. Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd who is a producer of the subject goods in China PR has filed questionnaire response. The producer does not directly export to India. During the period of investigation, the producer has exported through Sinobright Export and Import Co., Limited. The exporters have exported *****KG of** goods for *****USD$** directly to unrelated customers in India. The producer and exporters have provided all the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, and bank charges, and the same is provisionally allowed by the Authority, subject to detailed verification and examination. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd has been provisionally determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the dumping margin table below.

c. **Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd, China PR**

37. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd who is a producer of the subject goods in China PR has filed the questionnaire response. The producer does not directly export to India. During the period of investigation, the producer has exported through Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd ("Dawn Ray") and Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) ("Farmasino"). M/s Tianlu has exported *****KG** of goods for *****USD$** directly to unrelated customers in India through both the exporters i.e., M/s Dawn Ray and M/s Farmasino. The producer and exporters have provided all the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, and bank charges, and the same is provisionally allowed by the Authority subject to detailed verification and examination. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd has been provisionally determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the dumping margin table below.

d. **Other producers**

38. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been provisionally determined based on the facts available and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

F.3.2 Normal value and export price for Korea RP.

Normal value

a. **Daewoong Bio Incorporated, Korea RP**

39. Daewoong Bio Incorporated who is a producer of the subject goods in Korea RP has filed the questionnaire response. The producer has directly sold *** kg of goods at **USD** ***to the end consumers in Korea RP. The domestic sales of Daewoong Bio Incorporated are in sufficient volumes when compared with exports to India.

40. Based on their response, it is noted that their sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of the subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, all sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%. Daewoong Bio Incorporated has claimed adjustment of on account of inland transportation, insurance, credit cost and bank charges, which have been provisionally allowed subject to detailed verification and examination.

41. Accordingly, normal value at ex-factory level for Daewoong Bio Incorporated, Korea RP, has been provisionally determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

b. **Other producers**

42. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Korea RP has been provisionally determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price

a. **Daewoong Bio Incorporated, Korea RP**

43. The producer has directly exported to India. During the period of investigation, the producer has exported *** **KG** of goods for ***USD$ directly to unrelated customers in India. The producer has provided all the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustment on account of ocean freight, commission, packaging cost, duty drawback, marine insurance, inland transportation, and bank charges, and the same is provisionally allowed by the Authority subject to detailed verification and examination.

44. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Daewoong Bio Incorporated has been provisionally determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the dumping margin table below.

b. **Other producers**

45. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been provisionally determined based on facts available and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

F.5 Dumping margin

46. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject countries have been provisionally determined as follows:

Dumping Margin

SN	Particulars	Normal value USD/KG	Export price USD/KG	Dumping margin		
				USD/KG	%	Range
1	**China PR**					
a	Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd	***	***	***	***	130-140
b	Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120
c	Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd	***	***	***	***	130-140

d	Others	***	***	***	***	210-220
2	**Korea RP**					
a	Daewoong Bio Incorporated	***	***	***	***	50-60
b	Others	***	***	***	***	70-80

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the other interested parties

47. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. The domestic industry had amassed huge amounts of debt and was declared a sick industrial company vide BIFR order. Due to various instances such as CDR, BIFR and winding up petition, there was total stoppage of the business between 2013-2016.

ii. Company entered into a restructuring agreement with M/s JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd which has been approved till the period 31.03.2024.

iii. Data on change in productivity, employment, and wages has not been provided on the premise that there is no injury claimed. The application is deficient.

iv. The domestic industry produced only for 2 months in the year 2017-18 and sold only in 1 month.

v. Out of total injury period of four years and three months (a total of 51 months), domestic industry produced goods only for 26 months.

vi. In 15 months of period of investigation, domestic industry did not produce for 7 months. The domestic industry has not provided any suitable reasons for the suspension of production.

vii. The domestic industry has filed optimised data but injury should be examined as it exists and not on optimised basis. In the recent findings of the Melamine, the Authority held that the domestic industry is required to be seen as it exists.

viii. The domestic industry has not provided updated information with regard to demand and imports.

ix. The domestic industry does not have sufficient capacity to meet the demand of the Indian market and thereby creating a huge demand-supply gap. The imports from China PR are necessary to meet the gap between demand and supply.

x. The domestic industry has claimed increase in inventory despite offering goods at the lowest price. This demonstrates that the consumers are not buying the product under consideration from the domestic industry despite being offered at lowest price. Primary reason for decline in sales volume and increased inventory is none other than the inferior quality of the product offered by the domestic industry.

xi. Price undercutting in respect of imports from Korea RP is negative.

xii. Product is being used for medicinal purposes and has a limited shelf life. The pipe-up inventory of product has adversely impacted the selling efficacy.

xiii. Exports from China PR remained in line with demand in India. Compared to 2019-20, import volume from China PR has declined during the period of investigation.

xiv. Increase in import volume from China PR is negligible as compared to the increase in domestic industry's production and sales of the product throughout the injury period.

xv. Decline in selling price is less than the decline in cost of sales which shows that there is no price depression or price suppression on account of imports.

xvi. Negative price undercutting implies that domestic industry is offering goods below the lowest import price and it is causing price injury to the foreign exporters.

xvii. Production, capacity utilization, and sales have increased during the base year as well as the injury period.

xviii. The domestic industry started production in February 2018 only and is a new nascent industry. Injury to the domestic industry, if any, is on account of start-up difficulties that are common during the initial gestation period.

xix. The domestic industry's market share has increased remarkably which shows that there is no adverse impact.

xx. The volume of exports from Korea RP has declined sharply during the POI, whereas the same have increased significantly from China PR. Similarly, goods from Korea RP are being exported into India at a price almost 30% higher than the prices of the subject goods from China PR.

xxi. COVID-19 pandemic is the major cause for injury to the domestic industry.

xxii. Any injury allegedly suffered by the domestic industry is due to factors other than imports from the country concerned.

xxiii. Imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods is not desirable because the product is an essential pharmaceutical product and a life-saving drug.

xxiv. The domestic industry is in a monopolistic position and has no competition except from imports.

xxv. Imports from European Union are increasing despite prices being higher. This shows that there are some other factors which influence the decisions of the customers.

xxvi. Production was suspended because of poor offtake and higher inventory volumes.

xxvii. The domestic industry has a history of losses as it suffered losses even when there were no dumped imports. Current losses cannot be attributed to imports.

G.2 Submissions made by the domestic industry

48. The submissions made by the domestic industry with regard to injury are as follows:

i. Imports from the subject countries declined in the year 2018-19 due to commencement of production by the domestic industry in 2017-18 and the increase in imports from European Union.

ii. Imports have increased thereafter in the year 2019-20 and further increased in the period of investigation.

iii. Imports from the subject countries have increased over the injury period.

iv. There has been a sharp increase in the volume of imports in the period of investigation with a steep decline in the landed price of imports.

v. Market share of the domestic industry is significantly below the share that it is capable of catering.

vi. Sales volumes, output/production, or utilisation of capacity have all increased over the injury period. The increase was natural as the domestic industry commenced production in the year 2017-18 only.

vii. The domestic industry has not been able to utilize even ***% of its capacity annually over the injury period because of dumped imports.

viii. Marginal increase in production and sales is also due to the fact that the domestic industry is selling at prices matching the lowest price in the market.

ix. Even at optimum cost of production, domestic industry earned profits in the base year which increased in 2018-19. However, with increase in imports from the subject countries, the domestic industry was forced to reduce its prices and suffered in the period of investigation.

x. Cash profits and return on capital employed increased in the year 2018-19 but turned negative in the year 2019-20 and have further declined in the period of investigation.

xi. Contribution earned by the domestic industry was positive upto 2018-19 but turned negative in the year 2019-20 and even in the period of investigation.

xii. Average inventory has increased sharply over the injury period. The closing inventory in the proposed period of investigation was almost 40% of annual domestic sales.

xiii. The domestic industry recorded a positive growth in the volume parameters, whereas its growth has been negative in price parameters.

xiv. Price undercutting is positive for China PR and negative for Korea RP. Price undercutting for China PR in some of the month is as high as 26%.

xv. Price undercutting is marginally negative for the subject countries as the domestic industry has been forced to match prices with the imported product to sell in the market.

xvi. There are significant imports below the selling price of the domestic industry.

xvii. Price underselling is positive.

xviii. Landed prices of imports are below the cost of sales of the domestic industry.

xix. Barring imports from the subject countries, imports from European Union are above de-minimis limits but their landed price of imports are significantly higher than the selling price of the domestic industry as well as the landed price of imports from the subject countries.

xx. Demand has increased over the injury period and any possible decline in demand is not a cause of injury to the domestic industry.

xxi. The domestic industry has not faced any constraints relating to raw materials shortage, power shortage, impact of any tax differential, lack of adequate capacity or investment constraints, etc. in relation to the production or sales of the subject goods.

G.3 Examination by the Authority

49. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties including the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment

50. Article 3 of Anti-Dumping Agreement and Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

51. The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

d. The examination of the parameters mentioned above reveal that there is competition between the imported article and the domestic like article.

52. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR and Korea RP.

53. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

54. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record in light of applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding paras addresses the submissions made by the domestic industry and other interested parties.

55. It has been contended that the domestic industry was declared a sick unit and there was total stoppage of the business between 2013-2016. The Authority notes that the information provided pertains to the period which was prior to the injury period. It is noted that the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, was repealed in 2016 and on the basis of information on record, the petitioner came out of the purview of the Act. Further, all the winding up petitions against the petitioner were withdrawn by 2018. Further, no evidence has been submitted that the production and sale of the domestic like product suffered due to the past sickness of the domestic industry. The Authority is required to examine if the product under consideration is being dumped

and the domestic industry has suffered material injury because of it. In order to examine the same, the Authority has considered data for product under consideration, only during the injury period. It is also noted that one of the reasons for the intermittent production of the domestic like product during the injury period, was due to the dumping of the product under consideration in the country, and not due to sickness of the domestic industry in the past.

56. On the submission raised by the other interested parties with regard to the increase in petitioner's inventory due to inferior quality of product supplied, the Authority notes that the interested parties have not quantified how the product produced and supplied by the domestic industry was inferior. The interested parties have not demonstrated any possible difference in the production process or specifications of the product which could have led to an increase in the inventory. The interested parties have not addressed the steep decline in the prices over the injury period. If the quality of the domestic product was inferior, the foreign producers would have rather received a better price and would have not required to steeply reduce the prices. It is however seen that there was a steep decline in the prices. The interested parties have, therefore, not established that it was quality of the product that has prevented the domestic industry from selling the product in the market. Further, none of the interested party has brought forward any evidence to show that the product supplied by the petitioner is of inferior quality.

57. It has been contended that the product has a limited shelf life which is impacting selling price of petitioner. The Authority notes that the reason the petitioner has been forced to pile up the inventories is the dumped price of imports.

58. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury must show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

G.3.1. Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

59. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry in India and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of domestic industry	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	89	91	123
2	Sales of other Indian producers	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	464	188	48
3	Imports from Subject Countries	KG	38,982	46,320	69,720	53,940
	Trend	Indexed	100	119	179	138
4	Import from other countries	KG	37,298	44,060	47,866	47,650
	Trend	Indexed	100	118	128	128
5	Total demand/ consumption	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	122	148	130

60. It is seen that the demand for the product under consideration has increased consistently over the first three years of the injury period, with a marginal decline in the period of investigation, as compared to the immediately preceding period. Overall, the demand has increased over the injury period.

b. Import volumes from the subject countries

61. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed as follows:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Subject countries	KG	38,982	46,320	69,720	53,940
i	China PR	KG	35,520	37,198	59,860	43,865
ii	Korea RP	KG	3,462	9,122	9,860	10,075
2	Other countries	KG	37,298	44,060	47,866	47,650
3	Total	KG	76,280	90,380	1,17,586	1,01,591
4	Subject countries import in relation to -					
i	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	199	142	154
ii	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	121	106
iii	Total imports	%	51.10%	51.25%	59.29%	53.10%

62. It is seen that: -

i. The volume of imports from the subject countries have increased till the year 2020-21 but declined in the period of investigation.

ii. While the imports in the period of investigation have declined as compared to the year 2020-21, the imports have increased as compared to the base year. Overall, the subject imports from the subject countries have increased during the injury period.

iii. Despite the decline in the period of investigation, the imports from the subject countries continue to hold a significant share in demand.

iv. The imports from the subject countries have increased consistently and significantly over the injury period in relation to total imports in India, demand in India and production in India.

G.3.2 Price effect of the dumped imports on the domestic industry

63. With regard to the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined through price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Evolution of price

64. The Authority has examined the trend of import prices and raw material cost over the injury period and is shown below.

SN	Period	Raw material cost – Rs/KG	Trend	Landed price Rs/KG	Trend
1	2018-19	***	100	24,136	100
2	2019-20	***	90	19,519	81
3	2020-21	***	93	16,581	69
4	POI	***	89	15,518	64

65. It is seen that the raw material cost has decreased by 11 index points over the injury period. However, the landed price has declined by 36 index points. The landed price in the period of investigation is below the raw material cost of the domestic industry.

66. It is seen that prior to the commencement of production by the applicant, imports from subject countries were priced in the range of 330-340 USD / MT. however, post the commencement of production by the applicant, import prices have started declining and are in the range 210-220 USD/MT.

b. Price undercutting

67. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from each of the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Net Sales Realisation	Rs/Kg	***	***	***	***
2	Subject Countries as a whole					
i	Landed Price	Rs/Kg	24,136	19,519	16,581	15,518
ii	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range %	(0-10)	(20-30)	(0-10)	(0-10)
3	China PR					
i	Landed Price	Rs/Kg	24,146	19,554	16,129	14,785
ii	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range %	(0-10)	(20-30)	0-10	(0-10)
4	Korea RP					
i	Landed Price	Rs/Kg	24,040	19,375	19,320	18,710
ii	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range %	(0-10)	(10-20)	(10-20)	(20-30)

68. The Authority notes that the price undercutting is marginally negative in case of China PR which shows that the domestic industry's and Chinese prices move in tandem. However, the price undercutting is significantly negative in case of Korea RP. The overall price undercutting is also negative. It is also noted that the low-priced imports has forced the domestic industry to reduce their selling prices in competition to the landed price of the imports. However, such competition has forced the domestic industry to produce and sell in lower quantity in the market in order to reduce losses. Therefore, when the price of the domestic industry is suppressed/ depressed to such a significant extent that it is unable to earn even a positive contribution, then price undercutting may not be a relevant factor.

c. Price Suppression and Depression

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are examined as below:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	100	102	127	96
2	Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*65*	*68*	*62*
3	Landed Price	Rs/Kg	24,136	19,519	16,581	15,518
	Trend	*Indexed*	*100*	*81*	*69*	*64*

4	Cost of raw material	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	100	90	93	89

70. It is seen that the landed price of imports from the subject countries has declined over the injury period and is much below the cost of sales of the domestic industry. It is also seen that the landed price of imports is in fact lower than the cost of raw material of the domestic industry. While the cost of sales of the domestic industry has increased upto 2020-21 and decreased in POI, the selling price has declined consistently during the injury period. Resultantly, the domestic industry been unable to sell even at its variable cost, and earn profits and suffered losses. The significantly low import price has prevented the price increase of the domestic industry. Therefore, the Authority provisionally holds that the imports have suppressed the prices of the domestic industry. Further, the domestic industry has also suffered price depression.

G.3.3. Economic Parameters of the domestic Industry

71. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sale

72. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Capacity	KG	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	Production	KG	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*60*	*126*	*72*
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*60*	*126*	*72*
4	Domestic Sales	KG	***	***	***	***
	Trend	*Indexed*	*100*	*89*	*91*	*123*

73. It is seen that-

i. The domestic industry started production in February 2018. Thereafter, the capacity of the domestic industry has remained constant.

ii. The production and capacity utilization declined in the year 2019-20, increased thereafter in the year 2020-21 but has declined again in the period of investigation. The production and capacity utilization have declined over the injury period.

iii. The production and the capacity utilization undertaken by the domestic industry are significantly low.

iv. The domestic industry submitted that it could not undertake production in 8 months of the period of investigation. Further, it could not undertake production in 5 months of the last 6 months of the period of investigation.

v. The domestic sales of the domestic industry declined in the year 2019-20 but have increased thereafter. Overall, the domestic sales have increased during the injury period.

b. Market share

74. Market share of the domestic industry over the injury period is shown in table below:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Share of domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	73	62	95
2	Share of other producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	381	127	37
3	Share of subject countries	%	44%	43%	54%	47%
	Trend	Indexed	100	98	121	106
4	Share of other countries	%	42%	41%	37%	42%
	Trend	Indexed	100	97	87	98

75. The market share of the domestic industry declined till the year 2010-20 but has increased thereafter. While the market share shows an increasing trend, it is also seen that the market share of the domestic industry is significantly low. It is seen that the market share of the dumped imports has increased marginally as compared to the base year, but it continues to remain significant.

76. It is seen that there are significant imports from other countries at prices materially higher as compared to the imports from subject countries. As per the information provided by the applicant, these imports are for exports of formulations and not meant for consumption in the domestic market. It has been stated that these imports are undertaken in SEZ areas or under advance authorization scheme for by consumers who take duty draw back benefit. The applicant further submitted that these imports are being made as their customers have approved supplier of UDCA.

c. Profitability, return on investment and cash profits

77. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	102	127	96
2	Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	65	68	62
3	Profit / Loss	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(154)	(211)	(145)
4	Profit / Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(136)	(193)	(179)
5	Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(153)	(237)	(220)
6	Profit before Interest & Tax (PBIT)	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(157)	(224)	(160)
7	Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(196)	(305)	(371)

78. It is seen that-

a. The domestic industry has been in continuous losses over the injury period.

b. The loss per unit and losses before tax suffered by the domestic industry has increased over the injury period.

c. Cash loss and losses before interest have increased over the injury period.

d.The return earned by the domestic industry is materially negative.

d. Inventories

79. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Opening Inventory	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	80,953	38,617	1,63,106
2	Closing Inventory	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	48	306	77
3	Average Inventory	KG	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	148	354	278

80. It is noted that that as compared to the base year, average inventory held by the domestic industry increased in the year 2019-20 and further increased sharply in the year 2020-21. However, the average inventory of the domestic industry for the period of investigation has declined. The domestic industry has submitted that the decline in the average inventory is due to the fact that it had not undertaken production in the 5 months of the last 6 months of the period of investigation. However, the average inventory held by the domestic industry continues to remain significant.

e. Employment, wages and productivity

81. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	No of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	76	117	93
2	Salary & Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	46	132	104
3	Productivity per day	KG/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	60	126	72
4	Productivity per employee	KG/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	79	107	78

82. The number of employees and the salary paid by the domestic industry shows a fluctuating trend and has moved in line with the production. Similarly, the productivity per day and per employee have also moved in tandem with the production.

f. Growth

83. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	POI
1	Production	Y/Y	-40%	111%	-42%
2	Sales	Y/Y	-11%	3%	35%
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-54%	-37%	31%
4	Inventory	Y/Y	48%	140%	-21%
5	Market share	Y/Y	-23%	-19%	53%
6	Profit before tax	Y/Y	-36%	-42%	7%

7	Cash profit	Y/Y	-53%	-55%	7%
8	Profit before Interest & Tax (PBIT)	Y/Y	-57%	-43%	-28%
9	Return on Interest (ROI)	Y/Y	-96%	-55%	-20%

84. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of production, inventory, PBIT and ROI has been negative. However, the growth in terms of sales, profit, market share, profit before tax and cash profit has been positive for the domestic industry.

g. Magnitude of dumping

85. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minims and significant. The Authority has provisionally determined, as a part of this preliminary findings that the dumping margin of the cooperating exporters is significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment

86. The domestic industry is suffering financial losses and has been unable to earn a positive contribution. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been adversely impacted. The Authority provisionally concludes that dumped imports have affected the ability of the domestic industry to raise capital investment.

i. Factors affecting domestic prices

87. It is seen that the landed price of dumped imports is lower than the raw material cost of the domestic industry. The domestic industry competes with the imports on the basis of price and therefore, there is a negative price undercutting. The low import price has prevented the domestic industry from charging profitable prices. The domestic industry's prices have been suppressed due to imports. In view thereof, it is provisionally concluded that the principal factor impacting the domestic prices is the price of dumped imports of the subject goods from the subject countries.

88. It has been contended that the domestic industry was declared a sick unit and there was total stoppage of the business between 2013-2016. The Authority notes that the information provided pertains to the period which was prior to the injury period. It is noted by the Authority that the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, was repealed in 2016 and on the basis of information on record, the petitioner came out of the purview of the Act. Further, all the winding up petitions against the petitioners were withdrawn by 2018. Further, no evidence has been submitted that the production and sale of the domestic like product suffered due to the past sickness of the domestic industry. It is also noted that one of the reasons for the intermittent production of the domestic like product during the present injury period, was due to dumping of the product under consideration in the country, and not due to sickness of the domestic industry in the past. However, the Authority in its earlier investigations has even considered the sick units as part of domestic industry

89. On the submission raised by the other interested parties on increase in domestic industry's inventory due to inferior quality of the product supplied, the Authority notes that the interested parties have not quantified how the product produced and supplied by the domestic industry was inferior. The interested parties have not demonstrated any possible difference in the production process or specifications of the product which could have led to increase in inventory. The interested parties have not addressed the steep decline in the prices over the injury period. If the quality of the domestic product was inferior, the foreign producers would have rather received a better price and would have not required to so steeply reduce the prices. It is however seen that there was a steep decline in the prices. The interested parties have therefore not established that it was quality of the product that has prevented the domestic industry from selling the product in the market. Further, none of the interested party has brought forward any evidence to show that the product supplied by the domestic industry is of inferior quality.

90. It has been contended that the product has a limited shelf life which is impacting selling price of domestic industry. The Authority notes that the reason the domestic industry has been forced to pile up inventories is due to the dumped imports. Even in months when the domestic industry produced, it was forced to sell at losses. The issue of shelf life of the product is not peculiar to the domestic industry alone, and would arise in case of imports as well. However, none of the exporters have claimed it. Low shelf life does not justify dumping of the product in the Country.

91. With regard to the contention that COVID-19 pandemic is a major cause for the injury to the domestic industry, the Authority notes on the perusal of annual report 2020-21 that the domestic industry has stated that there has been no major impact of Covid on its operations. Further, it is also seen that when country wide

lockdown was imposed due to the Covid outbreak, the domestic industry being engaged in the pharmaceutical sector, which forms part of essential services, was allowed to undertake production. The interested parties have not shown how Covid pandemic impacted its performance. Therefore, the Authority finds no merit in this claim.

92. The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is an active pharma ingredient (API) used in medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It is essential but not widely used drug. The product has low shelf life being an active pharma ingredient.

93. With regard to issues raised by the interested parties on the intermittent production of domestic like product by the domestic industry, and low-capacity utilization, the Authority notes that since the product has low shelf life and the sales volumes of the domestic industry remained materially below the production volume, the domestic industry was forced to undertake production intermittently. It was produced in some months, and led to piled up inventory, and consequently thereafter the stoppage of the production. It was submitted by the domestic industry that when the production volumes were kept low initially, the production was more regular. It has also been claimed that in the investigation period, when petitioner undertook significant reduction to the extent of capacity, it was faced with so significant piled up inventory that it had to stop production and remain out of production for quite a long period. However, while production was stopped, the sales continued from stocks.

94. The Authority considers that the low production by the domestic industry is not due to factors other than dumping and therefore it would be appropriate to consider actual cost of the production of the domestic industry for the purpose of determination of profit, cash profit and return on investment. Therefore, the Authority has considered the actual cost of production during the period for the purpose of determination of profit, cash profit and return on investment.

SN	Period	Capacity	Opening Stock	Production	Domestic Sales	Closing stock	Capacity Utilisation
		KG	KG	KG	KG	KG	%
1	Oct-20	***	***	***	***	***	***
2	Nov-20	***	***	***	***	***	***
3	Dec-20	***	***	***	***	***	***
4	Jan-21	***	***	***	***	***	***
5	Feb-21	***	***	***	***	***	***
6	Mar-21	***	***	***	***	***	***
7	Apr-21	***	***	***	***	***	***
8	May-21	***	***	***	***	***	***
9	Jun-21	***	***	***	***	***	***
10	Jul-21	***	***	***	***	***	***
11	Aug-21	***	***	***	***	***	***
12	Sep-21	***	***	***	***	***	***
	Total	***	***	***	***	***	***

SN	Period	Capacity	Opening Stock	Production	Domestic Sales	Closing stock	Capacity Utilisation
		KG- Trend	KG- Trend	KG- Trend	KG- Trend	KG- Trend	%- Trend
1	Oct-20	100	100	-	100	100	-
2	Nov-20	100	50-70	-	60-80	40-60	-
3	Dec-20	100	20-40	-	10-30	30-50	-
4	Jan-21	100	20-40	100	20-40	170-190	100
5	Feb-21	100	100-120	10-30	10-30	200-220	10-30

6	Mar-21	100	120-140	30-50	20-40	250-270	30-50
7	Apr-21	100	140-160	-	60-80	190-210	-
8	May-21	100	110-130	-	110-130	120-140	-
9	Jun-21	100	70-80	-	0-20	110-130	-
10	Jul-21	100	70-80	-	-	110-130	-
11	Aug-21	100	70-80	10-30	70-90	80-100	10-30
12	Sep-21	100	50-60	-	40-60	60-80	-
13	Total	***	***	***	***	***	***

95. As regards the absence of injury by imports from Korea RP or decline in imports from Korea RP in relation to demand or much higher import price from Korea RP as compared to China PR, the Authority notes that the Authority is required to undertake cumulative assessment of injury to the domestic industry once it is established that the parameters laid down under the law in this regard are met. It is not the contention of the interested parties that parameter relating to cumulative assessment of injury are not met in the present case.

96. As regards the injury to the domestic industry due to possible other factors, the Authority provisionally holds that the injury to the domestic industry considered in the present investigation has not been caused due to possible other factors. The Authority has already examined and found that the listed known other factors could not have caused injury to the domestic industry. None of the interested parties have identified any other possible factor which could have caused injury to the domestic industry.

97. As regards the reference price form of measures, the Authority has considered the same as appropriate for the purpose of the present determination, pending further investigation.

The Authority considers that this shall allow the domestic industry a reasonable price and at the same time allow importers to import the product at fair price and prices comparable to imports from non-subject countries.

Injury margin/Price underselling for cooperative producers/exporters

98. The Authority has provisionally determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin.

SN	Particulars	NIP USD/KG	Landed price USD/KG	Injury margin		
				USD/KG	%	Range
1	**China PR**					
a	Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd	***	***	***	***	150-160
b	Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	130-140
c	Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd	***	***	***	***	130-140
d	Others	***	***	***	***	170-180
2	**Korea RP**					
a	Daewoong Bio Incorporated	***	***	***	***	90-100
b	Others	***	***	***	***	110-120

j. Overall assessment of Injury

99. On the basis of the above, the following conclusions have been made provisionally:

a. The volume of imports from the subject countries have increased till the year 2020-21 but declined in the period of investigation. Overall, the volume of dumped imports from the subject countries has increased in absolute terms during the injury period. It has also increased in relation to total consumption, and production of the domestic industry.

b. Price undercutting is negative.

c. The dumped imports are significantly low priced and are much below the cost of sales of the domestic industry.

d. The domestic industry has been unable to increase its price as the imports of the subject goods have suppressed the domestic selling price, and has not allowed to increase.

e. The domestic industry has suffered price depression, as selling price has declined significantly over the injury period.

f. The domestic industry has been operating at low-capacity utilization.

g. The market share of the domestic industry is very low.

h. The domestic industry has suffered losses over the injury period. Further, the losses suffered have intensified in the period of investigation.

i. The domestic industry has suffered cash losses and a negative return on the capital employed.

j. The dumping margin and injury margin are significantly positive.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

100. The Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the above said factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

101. Barring the subject countries, 47% of the imports are from the non-subject countries and are particularly from European Union. However, the landed price of imports from European Union are significantly higher than landed price of imports from the subject countries. Therefore, these imports are not a cause of injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand

102. It is seen that the demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the period of investigation as compared to the immediately preceding year. However, the demand of the subject goods is comparatively higher than the capacity of the domestic industry. Further, the domestic industry has operated at only ***% capacity utilization in the injury period. Therefore, the Authority provisionally concludes that a decline in demand cannot be a cause of injury to the domestic industry.

c. Changes in the pattern of consumption

103. No interested party has produced any evidence relating to any known material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Therefore, the Authority provisionally concludes that changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

104. No interested party has produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Hence, the Authority provisionally concludes that trade restrictive practices have not caused injury to the domestic industry.

e. Development in technology

105. No evidence has been brought before to the Authority by any interested party concerning any known and material changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Hence, the Authority provisionally concludes that development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry

106. The domestic industry is not engaged in export operations. Therefore, export performance is not a cause of injury.

g. Performance of other products of domestic industry

107. The domestic industry has provided the data for the product under consideration performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury.

h. Productivity of the domestic industry

108. The domestic industry has provided the data relating to their productivity. It is seen that the productivity per day has moved in tandem of the production. Therefore, productivity of the domestic industry is not a possible cause of the injury.

109. On the basis of the above, the Authority provisionally concludes that the listed known factors have not caused injury to the domestic industry and there seems to be no other reason besides the dumped imports from the subject countries which could have impacted the performance of the domestic industry.

I. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

110. The Authority provisionally concludes as under:

a. Imports of the subject goods from the subject countries are entering India at a price lower than its associated normal value, resulting in dumping.

b. Overall, the volume of dumped imports of the subject goods from the subject countries has increased in absolute terms during the injury period. It has also increased in relation to total consumption, and production of the domestic industry.

c. There has been a significant decline in the import prices in the period of investigation. The landed price is below cost of sales of the domestic industry which has prevented the domestic industry from selling at profitable prices. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry.

d. The capacity utilization of the domestic industry is very low as they have not been able to sell desirable quantities in the market due to the low-priced dumped imports in the market.

e. The dumping margin is above de-minimis and very significant.

f. Because of the increasing dumped imports from the subject countries, the domestic industry has sold the subject goods at losses.

g. The contribution earned by the domestic industry is also negative in the period of investigation.

h. The Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed as a result of volume and price effect to such an extent that the domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submissions by the other interested parties

111. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest.

J.2 Submissions by the domestic industry

112. The submissions made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest are as follows:

a. Imposition of the anti-dumping duty will allow the domestic industry to compete with the dumped imports and would be in the interests of the domestic manufacturers.

b. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material. However, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.

c. Prices in the market will remain fair and competitive only in presence of the domestic production.

d. Arch Pharma is a major producer in India. Continued dumping in significant quantities can lead to stoppage of production completely.

e. The current prices of Ursodeoxycholic acid in the domestic market are not viable for any producer. Therefore, the domestic industry has been time and again forced to curtail or suspend production.

f. The expression public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is, in fact, a much wider term which covers the domestic industry as well.

g. The domestic industry a capacity of ***KG and has an existing share of only ***%. If the measures are imposed on the imports from China PR and Korea RP, then the domestic industry will be able to cater to 55-60% of the demand (not considering the imports from the non-subject countries).

h. With very minor modifications in its plant, domestic industry can expand its capacity to ***KG which does not require major investment. The Indian industry is committed to making further investments in India.

i. The increase in the price of Ursodeoxycholic acid is not going to have a significant impact in the cost of treatment for excess cholesterol in bile primary biliary. It is not a widely used medicine.

j. Reliance on imported API for such a rare disease medicine is not in the interest of public at large.

k. Treatment of excess cholesterol requires a patient to take Ursocol 150 Mg Tablet and Novastat TG 10 both for 15 days and Azithral 250 mg for 5 days. Approximate total cost of the full treatment, including fees of a doctor, cost of other medicines required to be taken along with this medicine would be hardly in the region of Rs 1500. The entire increase in cost of treatment shall be in the region of Rs. 25-30 for a 15-day treatment course.

l. The impact of anti-dumping duty on a single capsule of Ursocol ranges from Rs. 2.39 to Rs. 7.17, depending on the UDCA content of the capsule.

m. Imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports. Imports will continue to happen from all the sources. The objective of anti-dumping duty is to ensure just and fair price competition in the market and not the prevention of imports. There are significant imports happening from Europe.

n. India has long been dependent on China PR for APIs. The Chinese producers have offered product at very low prices which had impacted the Indian industry. Once the Indian industry is wiped out, the Chinese producers have increased their prices sharply which has impacted the users.

o. Chinese producers supplied Penicillin-G at a price Rs 562 per KG and the Indian industry was unable to compete with these prices. As the industry wiped out, the Chinese producers increased their prices. The prices for the year 2020-21 were in the range of Rs 1,262 per KG. Similar situation is going to happen if the Indian industry is wiped out for UDCA.

p. COVID-19 has significantly disrupted the global supply chain. Many organizations suffered due to travel and trade restrictions. In such situation, it is in interest of all stakeholders that dependence on imports is reduced. Imposition of duty would significantly help in achieving that objective

q. Impact of anti-dumping duties will not be significant on the end products is also established by the fact that while two consumers have participated, none questionnaire response.

r. Viability of consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices. The consumers have set up their plants considering fair market conditions.

s. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country.

t. The purpose of anti-dumping law was well recognised, appreciated and stated by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. Versus Designated Authority 2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.).

u. The consumers are already enjoying concessional duty on the imports of the subject goods from Korea RP, by virtue of India Korea Free Trade Agreement. Currently, imports of UDCA from Korea RP attract nil rate of duty.

J.3 Examination by the Authority

113. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping duties. On the contrary, imposition of the antidumping duties would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping duty would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

114. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

115. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

116. With regard to the operations of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry in the current case has been suffering due to dumped imports. The domestic industry has been unable to sell in the market even at prices enough to earn a positive contribution. It needs to earn adequate profits in order to recover its investment and plan for further investment. However, at present the performance is not adequate and the domestic industry has been forced to suspend the production. To ensure continued availability of the domestic product, it is necessary that the domestic producers remain viable at fair prices, failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.

117. The Authority notes that the participation of users enables them to provide information with regard to the impact of duties on their operations. The Authority can analyse and determine impact of proposed measures on the consumers and public at large, based on the information placed on record by various interested parties during the course of the investigation. Despite providing all format for users to quantify the impact of anti-dumping duty and to elaborate on how imposition of anti-dumping duty will adversely impact them, none of the users have provided relevant information on adverse impact of the anti-dumping duty.

118. It is also seen that the imposition of duty will not lead to non-availability of products for the consumers. The imposition of duty will not restrict imports from the subject countries. Further, there are significant imports happening from all the non-subject countries. The domestic industry has a capacity of ***KG which can cater ***% of the total demand and ***% of the demand (excluding demand being met by imports from the non-subject countries). Further, the domestic industry has provided the information that the investment required to expand its capacity to ***KG is not significant and will be sufficient to cater to the entire demand being met by the dumped imports.

119. Therefore, the Authority provisionally concludes that the imposition of anti-dumping duty will not have any adverse impact on public interest.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

120. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes the following:

a. The petitioner is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

b. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries.

c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation and also contained evidence to justify initiation of the present investigation.

d. Considering the normal value and export price for the subject goods, dumping margin for the subject goods from the subject countries has been determined, and the margin is positive and significant.

e. The domestic industry has suffered material injury in view of the following:

   i. The volume of dumped imports from the subject countries have increased over the injury period.

   ii. It has also increased in relation to the total consumption, and production of the domestic industry.

   iii. With an increase in the volume of imports, the landed price of the imports from the subject countries has significantly declined.

   iv. The imports have suppressed the prices of the domestic industry.

   v. The domestic industry has been unable to produce and sell in the domestic market.

   vi. The domestic industry's market share is significantly low.

vii. The domestic industry has suffered losses in its domestic operations.

viii. The domestic industry has suffered cash losses and a negative return on capital employed.

ix. There are no other factors which could have caused injury to the domestic industry.

f. The material injury suffered has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

g. Imposition of anti-dumping duty will not have any significant adverse public interest.

121. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. After conducting the preliminary investigation into dumping, injury and causal link as per the information/ data submitted by the interested parties and in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional antidumping duty is necessary to offset dumping and consequent injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

122. In terms of provision contained in Rule 12 and Rule 13 read with Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Taking into account the factual matrix of the case, and having regard to the information provided, and submissions made by the interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duties on import of the subject goods originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central government as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7.

123. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S N	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Reference Price	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29*	Ursodeoxy cholic Acid	China PR	Any country including China PR	Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd.	424.17	KG	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd.	429.33	KG	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd.	439.47	KG	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer	455.01	KG	USD
5	-do-	-do-	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	455.01	KG	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	Daewoong Bio Incorporated	371.18	KG	USD
7	-do-	-do-	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any other producer	374.45	KG	USD
8	-do-	-do-	Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any	374.45	KG	USD

* 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs classification is only indicative.

L. FURTHER PROCEDURE

124. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

a. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 30 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.

b. The Authority would conduct oral hearing in terms of rule 6(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.

c. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).

d. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.

e. The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.01 21:37:30 +05'30'